DRAFT

किशोर न्याय अधिनियम बाल देखरेख संस्थान

मॉड्यूल 6

unicef | for every child

विषय-सूची

संक्षिप्ताकार *3*

किशोर न्याय अधिनियम बाल देखरेख संस्थान 5

सत्र 1: किशोर न्याय अधिनियम के तहत संस्थान– परिभाषा, गठन और कार्य 7

सत्र 2: बाल देखरेख संस्थानों की कार्य प्रणाली 14

संलग्नक 31

संक्षिप्ताकार

सी.सी.आई.	:	बाल देखरेख संस्थान
सी.सी.एल.	:	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
सी.एन.सी.पी.	:	देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे
सी.आर.सी.	:	बाल अधिकार पर सम्मेलन
सी.एस.ओ.	:	सामाजिक संगठन
सी.डब्ल्यू.ओ.	:	बाल कल्याण अधिकारी
डी.सी.पी.ओ.	:	जिला बाल संरक्षण अधिकारी
डी.सी.पी.यू.	:	जिला बाल संरक्षण इकाई
डी.आई.सी.	:	जिला निरीक्षण समिति
एफ.एस.	:	परिवार सुदृढ़ीकरण
जे.जे.ए.	:	किशोर न्याय अधिनियम
जे.जे.बी.	:	किशोर न्याय बोर्ड
एन.जी.ओ.	:	गैर सरकारी संस्थान
ओ.एस.सी.पी.एस.	:	ओडिशा राज्य बाल संरक्षण देखरेख
पी.ओ. (आई.सी).	:	संरक्षण अधिकारी संस्थान देखरेख
पी.ओ.	:	परिवीक्षा अधिकारी
एस.ए.ए.	:	विशेष दत्तक–ग्रहण एजेन्सी
यू.एन.सी.आर.सी.	:	बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

मॉड्यूल
6

समय
3 घण्टे, 30 मिनट

किशोर न्याय अधिनियम बाल देखरेख संस्थान

बाल देखरेख संस्थान (किशोर न्याय अधिनियम के तहत) "यह पहचानते हुए कि बच्चे के व्यक्ति का पूर्ण और सद्भावपूर्ण विकास पारिवारिक वातावरण में होना चाहिए, एक ऐसे वातावरण में जहां खुशी, प्यार और एक दूसरे की समझ हो" बाल अधिकार सम्मेलन की प्रस्तावना, 1989 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC)।

> "एक समाज में बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इसके अलावा समाज की आत्मा का स्पष्ट प्रकटीकरण किसी और तरीके से नहीं हो सकता" – **नेल्सन मण्डेला।**

प्रस्तावना

किशोर न्याय अधिनियम में बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख ढांचा बनाने का प्रावधान है। देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संस्थान अलग–अलग हैं। इस भाग में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह संस्थान क्या है, उनके कार्य करने की प्रक्रिया क्या है और ये बच्चों का पुनर्वास कैसे करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बच्चों को संस्थागत देखरेख में रखना अंतिम विकल्प होना चाहिए। बच्चों को संस्थानों में तभी रखना चाहिए जब बच्चों को उनके माता–पिता या परिवार के साथ रखना उनके हित में हो। उदाहरण के लिए, संस्थागत देखरेख उन बच्चों के लिए आवश्यक है जिनके माता–पिता नहीं हैं, या जिनके माता–पिता उन्हें पालने के काबिल नहीं हैं या जिनके माता–पिता अपने बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं या असमर्थ हैं।[1] ऐसी परिस्थिति में बाल कल्याण समिति, बच्चे को सरकार द्वारा चलाए जा रहे या सरकार द्वारा पंजीकृत[2] (किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 50 के अंतर्गत पंजीकृत) बाल गृह में रखने का आदेश दे सकती है।

किशोर न्याय अधिनियम के द्वारा विभिन्न श्रेणियों के बच्चों के आवासीय देखभाल के लिए कई विकल्प प्रदान किए गए हैं। मोटे तौर पर आवासीय श्रेणियों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है:

- गृह – अवलोकन गृह (Observation Home), विशेष गृह (Special Homes), कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान (Place of Safety) और देखरेख तथा सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए बाल गृह (Childrens Home)
- खुला आवास (Open Shelter), उपयुक्त सुविधा (Fit Facility), उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) जो बच्चों को समुदाय आधारित देखभाल उपलब्ध कराते हैं। यह दत्तक–ग्रहण (Adoption), पालक देखरेख (Foster Care) और परियोजना (Sponsorship) से भिन्न हैं जो गैर संस्थागत देखभाल की श्रेणी में आते हैं।

[1] वेद कुमार 2017, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम क्रिटीकल एनालिखित, युनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग।

[2] सेक्शन 2 (19) बाल गृह (Children's Home) का तात्पर्य है प्रत्येक जिले या जिलों के समूहों में राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्था द्वारा स्थापित और संचालित तथा जो 50 में उल्लिखित ऐसे कार्यों के लिए पंजीकृत है।

किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 46 के तहत संस्थान छोड़ने वाले बच्चों की पश्चात् देखरेख (After Care) का भी प्रावधान है। इसके तहत कोई भी बच्चा जो 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद बाल देखरेख संस्थान छोड़कर जाता है उसे समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस भाग के अंत में पाठक/प्रतिभागियों के लिए कुछ अभ्यास और केस स्टडी दी गई है और उसके साथ–साथ सुगमकर्ता के लिए टिप्पणी भी दी गई है।

उद्देश्य

मॉड्यूल के अंत तक प्रतिभागी बता पाएंगे कि:

- बाल देखरेख संस्थान क्या हैं।
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत कितने प्रकार के बाल देखरेख संस्थान हैं।
- अलग–अलग बाल देखरेख संस्थानों की विशेषता क्या है।
- भिन्न–भिन्न बाल देखरेख संस्थानों के कार्य करने की प्रक्रिया क्या है।
- इन संस्थानों के प्रबन्धन और अनुश्रवण की कार्य पद्धति (Procedure) क्या है।
- बाल देखरेख संस्थानों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिका तथा उत्तरदायित्व क्या है।

:::::::::::::::::: सत्र-1

किशोर न्याय अधिनियम के तहत संस्थान-परिभाषा, गठन और कार्य

समय
60 मिनट

चरण 1: बाल देखरेख संस्थान क्या है?

परिभाषा

"बाल देखरेख संस्थान का आशय है बाल गृह, खुला आवास अवलोकन गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, विशेष दत्तक–ग्रहण अभिकरण और उपयुक्त सुविधा जो जरूरतमंद बच्चों को देखभाल तथा संरक्षण की सेवाएं प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है।" (सेक्शन 2 (21) किशोर न्याय अधिनियम 2015)

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को आवासीय देखरेख और संरक्षण अवलोकन गृह, विशेष आवास तथा सुरक्षा के स्थान द्वारा प्रदान किया जाना है।

संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण (सेक्शन 2 (51 और 41)[3]

किशोर न्याय अधिनियम इस बात की अनुमति देता है कि बच्चों के लिए सुविधाएं सरकार या गैर सरकारी, दोनों तरह की संस्थाओं द्वारा स्थापित किया जा सकता है। फिर भी कानून के अनुसार प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान चाहे वे कानून के उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए हों या देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद बच्चों के लिए हों, सभी संस्थानों का किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत इस अधिनियम के लागू होने के छः माह के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण की अनिवार्यता सभी संस्थानों के लिए है चाहे वे संस्थान सरकार द्वारा संचालित हैं या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित है। उन संस्थानों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है जो सरकारी धनराशि (Fund) प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

पंजीकरण प्राप्त करना एक बाध्यता है अधिकार नहीं

राज्य सरकार पंजीकरण के लिए मना कर सकती है या उसे रोक सकती है। ऐसी स्थिति में जब संस्थान कानून द्वारा निर्धारित तथा नियमों में बताए गए आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो पंजीकरण को निरस्त करना राज्य सरकार का दायित्व है। अगर किसी संस्थान का पंजीकरण निरस्त हो जाता है तो संस्थान का प्रबन्धन तब तक राज्य सरकार के पास रहेगा जब तक कि पंजीकरण न दे दिया जाए या नवीनीकरण न कर दिया जाए। यह इसलिए जरूरी है ताकि संस्थान में रह रहे बच्चों को इधर–उधर भेजना न पड़े और उनकी देखभाल तब तक सही तरीके से होती रहे जब तक कोई आवश्यक सुधारात्मक कदम न उठा लिया जाए।

बाल देखरेख संस्थान का पंजीकरण न होने पर दण्ड (सेक्शन 42)

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति संस्थान के प्रभारी हैं और जो सेक्शन 41 के सब सेक्शन (1) का अनुपालन करने में असफल रहते हैं उन्हें एक वर्ष तक के लिए जेल जाने की सजा हो सकती है या एक लाख रूपये से अधिक कर दण्ड या दोनों सजा दी जा सकती है। जैसा कि यह जारी रहने वाला कानून का उल्लंघन है इसलिए संस्थान की स्थापना या पंजीकरण की नवीनीकरण की नियत तिथि का विलम्ब एक अलग कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अतः अगर कोई संस्थान पंजीकरण का आवेदन 90 दिन तक नहीं करता है तो इसे पंजीकरण न कराने का तीन बार कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

'प्रभारी' का आशय है बाल देखरेख के प्रबन्धन और नियंत्रण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

चरण 2: बाल देखरेख संस्थानों की जरूरत क्या है?

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को सेवाएं देने में अवलोकन गृह (Obserbation Home) और विशेष गृह (Special Home) का उद्देश्य और आशय विशिष्ट है और इसीलिए दोनों की कार्य प्रणाली में अन्तर होगा। 16 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो जघन्य अपराध के लिए दोषारोपित है या दोषी पाए गए हैं, सुरक्षा का स्थान (Place of Safety), अवलोकन गृह या विशेष गृह के रूप में कार्य करते हैं।

---

[3] सेक्शन 2 (51) "पंजीकृत", राज्य सरकार या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्थान या एजेन्सी या सुविधाओं का अर्थ है अवलोकन गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान, बाल गृह, खुला आवास या विशेष दत्तक–ग्रहण एजेन्सी या उपयुक्त सुविधा या अन्य कोई एजेन्सी या सुविधा जो किसी विशेष आवश्यकता के लिए जरूरी हो, को सेक्शन 41 के तहत पंजीकृत और प्राधिकृत किया जाता है ताकि वे थोड़े समय या लम्बे समय के लिए बच्चों को आवासीय देखभाल प्रदान कर सके।

सब बच्चों तथा युवाओं को सहयोगात्मक सुरक्षित तथा देखरेखपूर्ण वातावरण मिलना चाहिए जिससे उनकी सम्पूर्ण क्षमता का विकास हो सके। मां–बाप की देखरेख और न्याय से वंचित बच्चों को ऐसे वातावरण के न मिलने की अधिक संभावना रहती है।

जब बच्चे का अपना परिवार, उपयुक्त सहायता देने के बावजूद बच्चे को पर्याप्त देखभाल करने में असमर्थ हो या बच्चे का त्याग कर दे या छोड़ दे तब बच्चे के अधिकारी को रक्षा करने और उपयुक्त वैकल्पिक देखरेख सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य सरकार का है। राज्य सरकार यह दायित्व, प्राधिकृत सक्षम स्थानीय संस्थाओं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाईजेशन के साथ मिलकर या उनके द्वारा पूरा करती है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने सक्षम अधिकारियों के माध्यम से वैकल्पिक देखरेख में रखे गए बच्चों की सुरक्षा, खुशहाली और विकास का निरीक्षण कराए और दी जाने वाली देखभाल की व्यवस्था की उपयुक्तता का निरंतर समीक्षा कराती रहे।

चरण 3: किशोर न्याय अधिनियम के तहत संस्थाओं का गठन और उद्देश्य

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत संस्थागत देखभाल तंत्र की व्यवस्था (गैर संस्थागत/परिवार आधारित देखभाल तंत्र के अतिरिक्त), कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण (Re-Integration) के लिए दी गई है।

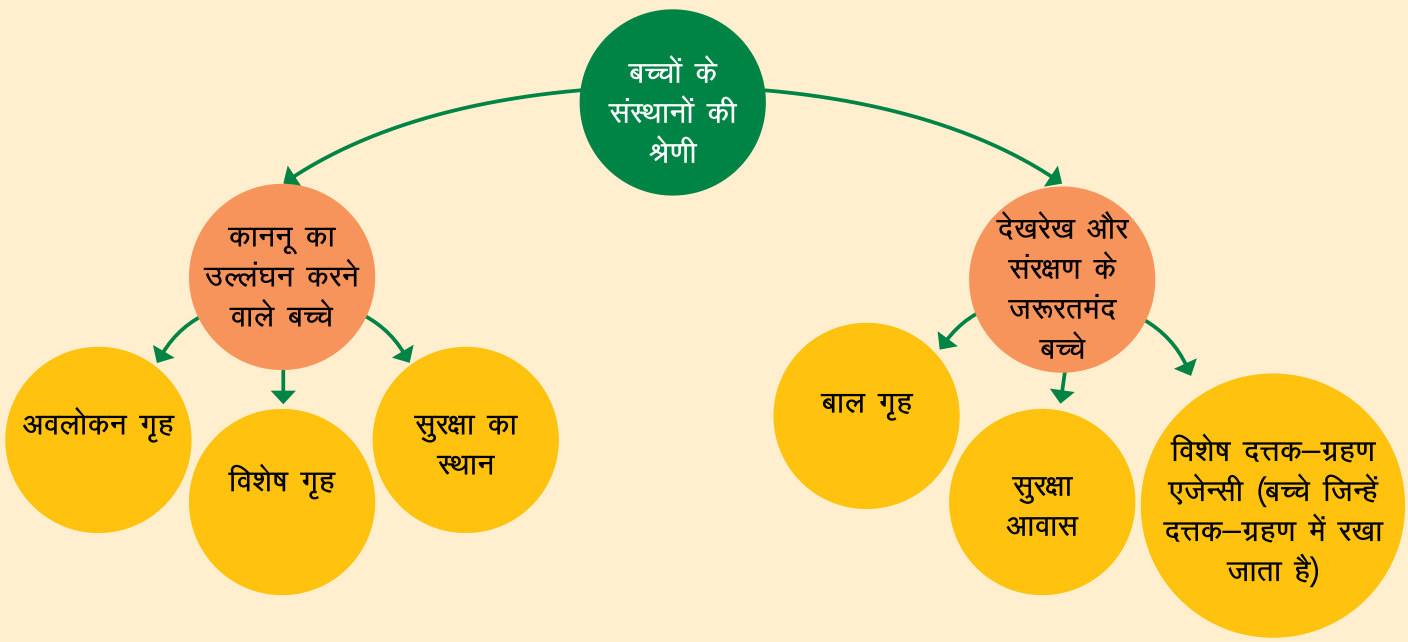

कानून उल्लंघन करने वाले बच्चों के संस्थान

अवलोकन गृह (सेक्शन 2 (42) किशोर न्याय अधिनियम 2015)

'अवलोकन गृह' (Observation Home) का तात्पर्य प्रत्येक जिले या जिले के समूहों में राज्य सरकार द्वारा स्वयं या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्था द्वारा स्थापित और संचालित अवलोकन गृहों से है जो सेक्शन 42 के सब सेक्शन (1) में उल्लेखित कार्यों के लिए पंजीकृत है।

विशेष गृह (सेक्शन 2 (56) किशोर न्याय अधिनियम 2015)

'विशेष गृह (special Home) का तात्पर्य राज्य सरकार या किसी स्वैच्छिक या गैर सकरारी संस्था द्वारा स्थापित संस्थान से है जो सेक्शन 48 के तहत पंजीकृत है और कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चों के रहने और पुनर्वास से संबंधी सेवाएं देने के लिए हैं जिन्हें जांच के बाद लगाए गए आरोपों के लिए दोषी पाया गया हो तथा बोर्ड के आदेश से ऐसे संस्थान में भेजा गया हो।

सुरक्षा का स्थान (सेक्शन 2 (46) किशोर न्याय अधिनियम 2015)

'सुरक्षा का स्थान' (Place of Safety) से तात्पर्य ऐसे स्थान या संस्थान से है जो पुलिस का लॉकअप या जेल न हो और जो अलग से या अवलोकन गृह या विशेष गृह से जुड़ा हुआ हो। उसका प्रभारी व्यक्ति, बोर्ड या बच्चों की अदालत (Children's Court) के आदेश पर कानून का उल्लंघन करने वाले दोषारोपित बच्चों को जांच के दौरान या दोष साबित होने के बाद पुनर्वास के लिए आदेश में निर्धारित समय तक के लिए रखने और उसकी देखरेख करने का इच्छुक हो।

चरण 4: अवलोकन गृह गठन और कार्य क्या हैं?

अवलोकन गृह (सेक्शन 47 और 39 (2) किशोर न्याय अधिनियम; नियम 29 (i), जे.जे. मॉडल रूल, 2016)

1. राज्य सरकार प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्था के माध्यम से अवलोकन गृह स्थापित करेगी जो इस अधिनियम के सेक्शन 41 के तहत पंजीकृत होगी। यह संस्थान ऐसे बच्चों के अस्थायी रूप से रहने, देखरेख और पुनर्वास का कार्य करेगी जो कानून के उल्लंघन के दोषारोपित है और जिनकी जांच की प्रक्रिया इस अधिनियम के अन्तर्गत चल रही है।
2. अवलोकन गृह में भेजे गए प्रत्येक कानून का उल्लंघन करने के दोषारोपित बच्चे को उसकी उम्र और लिंग के अनुसार, बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, अलग–अलग रखना चाहिए।
3. किशोर न्याय अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकार अवलोकन गृहों के प्रबन्धन और अनुश्रवण के लिए, जिसके अंतर्गत कानून का उल्लंघन करने के दोषारोपित बच्चे के पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण के लिए दी जाने वाली सेवाओं व उनके मानक शामिल हैं की

व्यवस्था देती है। इसमें यह भी शामिल होता है कि किन परिस्थितियों में और किस तरह से किसी अवलोकन गृह को पंजीकृत किया जाएगा या पंजीकरण निरस्त किया जाएगा।

4. अगर कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा जमानत पर रिहा नहीं होता या विशेष गृह, या सुरक्षा का स्थान या उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति के साथ नहीं रहता और बोर्ड के आदेश से अवलोकन गृह में ही रखा जाता है तो अवलोकन गृह में ही उसके पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया की जाएगी।

5. लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग अवलोकन गृह होंगे।
6. बच्चों का वर्गीकरण उनकी उम्र के अनुसार किया जाएगा। शारीरिक और मानसिक स्तर तथा अपराध की प्रकृति का ध्यान रखते हुए उम्र का वर्गीकरण अधिमानतः 7–11 वर्ष 12–16 वर्ष और 16–18 वर्षों में किया जाएगा।

विशेष गृह (Special Home) का गठन और कार्य क्या हैं?

विशेष गृह (सेक्शन 48 और सेक्शन 16 (1) (जी), किशोर न्याय अधिनियम 2015: रूल 29 (ii) जे.जे. मॉडल रूल, 2016)

1. राज्य सरकार प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में, आवश्यकता अनुसार स्वयं या किसी स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संस्था के माध्यम से विशेष गृह की स्थापना और परिचालन करा सकती है। परिचालन करने वाली संस्था निर्धारित तरीके से इस कार्य के लिए नियमानुसार पंजीकृत होनी चाहिए। यह विशेष गृह ऐसे बच्चों के पुनर्वास का कार्य करेंगी जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और जिन्हें किशोर न्याय बोर्ड के सेक्शन 18 के तहत दिए आदेश से वहां पर रखा गया है।
2. जहां पर बोर्ड अपनी जांच से संतुष्ट है कि किसी भी उम्र के बच्चे ने छोटा–मोटा अपराध या गंभीर अपराध किया है या किसी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने जघन्य अपराध किया है और बोर्ड को अगर ठीक लगता है तो बोर्ड ऐसी समयावधि के लिए जो तीन वर्ष से अधिक न हो, बच्चे को विशेष गृह में रखने का निर्देश देता है जहां उसे निवास के दौरान सुधारात्मक सेवाएं दी जा सकें जिसके अन्तर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श व्यवहार में सुधारात्मक उपचार, मनोवैज्ञानिक सहयोग दिया जाता है।

3. 10 वर्ष से अधिक की उम्र की लड़कियों के लिए तथा 11 से 15 वर्ष और 16 से 18 वर्ष के लड़कों के लिए अलग–अलग विशेष गृह होने चाहिए।
4. बच्चों का वर्गीकरण और अलग–अलग रखने का निर्णय उनकी उम्र तथा उनके द्वारा किए गए अपराध के प्रकार व उनकी मानसिक एवं शारीरिक स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए।

सुरक्षा का स्थान (Place of Safety) का गठन और कार्य क्या हैं?

सुरक्षा का स्थान (सेक्शन 49, सेक्शन 19, किशोर न्याय अधिनियम 2015: रूल्स 29 (iii), जे.जे. मॉडल रूल, 2016)

1. प्रत्येक जिले में या जिलों के समूह में राज्य सरकार स्वयं या किसी स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संस्था के माध्यम से 'सुरक्षा का स्थान' की स्थापना तथा संचालन सेक्शन 49 के प्रावधानों के अनुसार इस आशय से करेगी ताकि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, और उन बच्चों ने जिन्होंने जघन्य अपराध किया है और अपराध करते समय 16 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, को देखरेख, उपचार, संरक्षण और विकासात्मक प्रक्रियाएं देना सुनिश्चित किया जा सके।
2. सुधारात्मक सेवाएं जिसमें शैक्षिक सेवाएं, कौशल विकास, वैकल्पिक उपचार जैसे–परामर्श, व्यवहारिक सुधार उपचार, मनोचिकित्सा सहायता, बच्चे के सुरक्षा का स्थान में रहने की अवधि के दौरान दिया जाएगा।
3. कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चे जो जघन्य अपराध करने के आरोपित हैं और 16 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं तथा बोर्ड या बाल अदालत के समक्ष जैसा भी मामला हो, केस की सुनवाई बाकी है तो ऐसे बच्चों के रहने के लिए अलग सुविधा उपलब्ध, कराई जाएगी।
4. ऐसे बच्चों के लिए जो 16 से 18 वर्ष के हैं और जघन्य अपराध के लिए आरोपित हैं तथा जिनकी जांच अभी बाकी है।
5. ऐसे बच्चों के लिए जो 16 से 18 वर्ष के हैं और जांच पूरी होने पर जघन्य अपराध में उन्हें शामिल पाया गया।
6. ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जो कानून के उल्लंघन के लिए आरोपित हैं जब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी तथा जांच अभी बाकी है।
7. 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए जिनकी जांच पूरी होने पर कानून के उल्लंघन में शामिल पाए गए।
8. अधिनियम के सेक्शन 18 के क्लॉज़ (जी) सब सेक्शन (1) के तहत बोर्ड के आदेश वाले बच्चों के लिए।

चरण 5: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए संस्थान

बाल गृह (सेक्शन 2 (19) किशोर न्याय अधिनियम 2015)

'बाल गृह' (Children's Home) का तात्पर्य बालकों के लिए गृह से है जो प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संस्था द्वारा स्थापित और संचालित कराती है। यह संस्था सेक्शन 50 के तहत पंजीकृत होती है तथा उस सेक्शन में वर्णित कार्यों को करती है।

खुला आवास (सेक्शन 2 (41), किशोर न्याय अधिनियम 2015)

'खुला आवास' (Open Shelter) का आशय बच्चों के लिए एक ऐसी सुविधा से है जो राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संस्था द्वारा स्थापित और संचालित कराया जाता है। यह संस्था सेक्शन 43 के सब सेक्शन 1 तहत पंजीकृत होती है और उस सेक्शन में वर्णित कार्यों को करती है।

विशेष दत्तक-ग्रहण एजेन्सी (सेक्शन 2 (57), किशोर न्याय अधिनियम 2015)

विशेष दत्तक–ग्रहण एजेन्सी (Specialised Adoption Agency) का आशय, राज्य सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठन द्वारा या किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा स्थापित और संचालित संस्थान से है जो सेक्शन 65 के तहत मान्य है तथा अनाथों, परित्यक्त या त्यागे गए (Surrendered) बच्चों को समिति के आदेश पर दत्तक–ग्रहण (Adoption) के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करना है।

बाल गृह का गठन और कार्य क्या हैं?

बाल गृह (Children's Home) (सेक्शन 50, किशोर न्याय अधिनियम 2015)

1. राज्य सरकार प्रत्येक जिले में या जिलों के समूह में स्वयं या किसी स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संस्था द्वारा बाल गृह स्थापित और संचालित कर सकती है। इनका पंजीकरण इस प्रकार होना चाहिए कि देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को उनकी देखभाल, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास तथा पुनर्वास की सेवाएं उन्हें अपने संस्थान में रखकर दे सकें।
2. राज्य सरकार को किसी बाल गृह को उपयुक्त बाल गृह के रूप में नामित करना चाहिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकता के अनुसार विशेष सेवाएं दे सकें।
3. प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार, (Individual Care Plan) बाल गृह सेवाएं दें तथा सेवाओं के मानक और प्रकृति को बनाए रखें, इसके लिए राज्य सरकार नियमानुसार अनुश्रवण व प्रबन्ध उपलब्ध करा सकती है।

खुला आवास का गठन और कार्य क्या हैं?

खुला आवास (Open Shelter) (सेक्शन 43, किशोर न्याय अधिनियम 2015: रूल 22, जे.जे. मॉडल रूल, 2016)

1. राज्य सरकार स्वयं या किसी स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संगठन के माध्यम से जितने खुले आवासों की आवश्यकता हो, उतने खुले आवास की स्थापना और संचालन कर सकती है तथा यह खुले आवास इस तरह से पंजीकृत हों जिस तरह से निर्धारित है।
2. आवासीय सहायता की जरूरत वाले बच्चों के लिए समुदाय आधारित सुविधा के रूप में इन खुले आवासों को कार्य करना चाहिए। यह सहायता थोड़े समय के लिए हो सकती है और इनका उद्देश्य बच्चों को सड़कों पर जीवन बिताने से तथा दुर्व्यवहार से, व गलत आदतों में पड़ने से बचाने का होता है।
3. प्रत्येक माह खुले आवास की सेवाएं लेने वाले बच्चों की सूचना, निर्धारित तरीके से समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजनी चाहिए।
4. किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 41 के सब सेक्शन (1) के प्रावधानों के तहत खुला आवास का पंजीकरण कराया जाना चाहिए।
5. खुला आवास की सेवाओं के तहत दिन की देखरेख और रात में आवास सुविधाएं जिसमें खाना, कपड़े धोने, शौचालय तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकार उचित मानती है।
6. देखरेख और आवश्यकता के जरूरतमंद बच्चे को 'खुला आवास' की सुविधा लेने से किसी भी समय मना नहीं किया जा सकता।

विशेष दत्तक-ग्रहण एजेन्सी का गठन और कार्य क्या हैं?

विशेष दत्तक–ग्रहण एजेन्सी (Specialised Adoption Agency) (सेक्शन 65, किशोर न्याय अधिनियम 2015)

1. राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक संस्थाओं या संगठनों को 'विशेष दत्तक–ग्रहण एजेन्सी' के रूप में मान्यता देगी। यह मान्यता प्राधिकारी द्वारा दत्तक–ग्रहण के बनाए गए नियमों के अनुसार अनाथ बच्चों, परित्यक्त बच्चों और त्यागे गये बच्चों को दत्तक–ग्रहण तथा गैर संस्थागत देखभाल के द्वारा पुनर्वासित करने के लिए है।
2. ऐसी संस्थाओं को मान्यता देने या मान्यता का नवीनीकरण करने के तुरन्त बाद राज्य एजेन्सी को, विशेष दत्तक–ग्रहण एजेन्सी का नाम, पता और संपर्क विवरण तथा मान्यता प्रदान करने के पत्र या प्रमाण पत्र की प्रतियों के साथ प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।
3. हर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार हर विशेष दत्तक एजेन्सी का निरीक्षण किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

:::::::::::::::: सत्र-2

बाल देखरेख संस्थानों की कार्य प्रणाली

समय
90 मिनट

चरण 1: विभिन्न बाल देखरेख संस्थान कैसे कार्य करते हैं?

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों का पुनर्स्थापन (सेक्शन 40, किशोर न्याय अधिनियम 2015)

1. किसी भी बाल गृह, विशेष दत्तक–ग्रहण एजेन्सी या खुला आवास का मुख्य उद्देश्य बच्चे का पुनर्स्थापन और संरक्षण (माता–पिता, पालक माता–पिता या अभिभावक, दत्तक माता–पिता या उपयुक्त व्यक्ति के पास) होना चाहिए।
2. बाल गृह, विशेष दत्तक–ग्रहण एजेन्सी या किसी भी खुला आवास को, जैसा भी मामला हो, उसके अनुरूप आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जो ऐसे बच्चों के पुनर्स्थापन या संरक्षण के लिए जरूरी है, जो अस्थायी या स्थायी रूप से पारिवारिक वातावरण से वंचित रह गए हैं और जो उनके देखरेख तथा संरक्षण में हैं।
3. किसी भी देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे का उसके माता–पिता, अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति के पास मामले के अनुसार, यह निर्धारित करने के बाद कि माता–पिता या अभिभावक बच्चे की देखभाल करने के लिए उपयुक्त हैं; बच्चे को पुनः स्थापित करने का अधिकार समिति को है।

इस अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों की पुनर्वास पुनः समेकन सेवाएं और उनका प्रबंधन (सेक्शान 53, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

1. इस अधिनियम के तहत पंजीकृत सस्थानों द्वारा बच्चों के पुनर्वास और पुनः समेकन की प्रक्रिया के लिए दी जाने वाली सेवाओं में निम्न शामिल हैं:
   i. निर्धारित मानकों के अनुसार मूलभूत आवश्यकताएं जैसे– भोजन, आवास, कपड़ा और चिकित्सीय देखभाल।

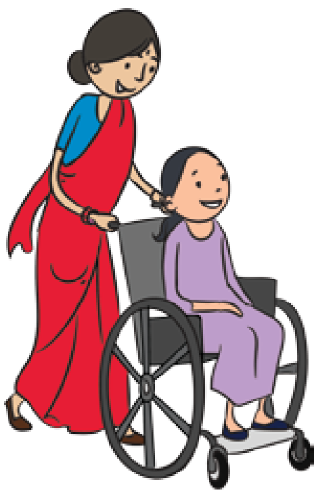

   ii. उपकरण जैसे व्हील चेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ब्रेक किट या अन्य कोई उपयुक्त सहायक और उपकरण जिसकी जरूरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को हो।

एक अच्छे प्रयास के उदाहरण के रूप में ईको (ECHO) बैंगलुरू का उदाहरण ले सकते हैं जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए एक विशेष गृह चलाता है और जो पूरे देश में सबसे अच्छा नमूनों में से एक है।

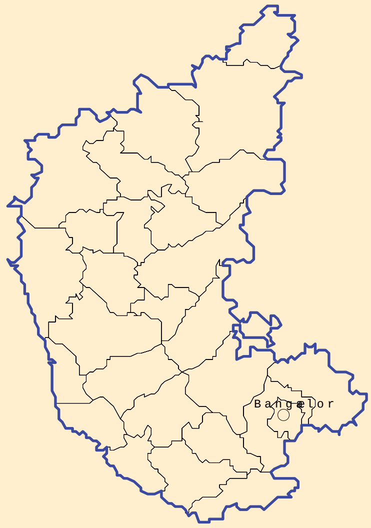

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत 'ईको' की शुरूआत, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख और संरक्षण की जरूरत बच्चों को सशक्त बनाने के लिए किया गया। उनकी गतिविधियों की रूपरेखा किशोर न्याय अधिनियम के आधार पर बनायी गई है। ईको ने हजारों उपेक्षित और अपराध में शामिल बच्चों को कानूनी सहायता, परामर्श सरकारी अवलोकन गृहों, स्वागत केन्द्रों तथा बाल गृहों से छुड़ाया व उनके लिए आवाज़ उठाई। 'ईको' के द्वारा बच्चों को ईको के पुनर्वास केन्द्रों और परिवर्तन गृहों में स्थानांतरित करने के लिए कानूनी कार्यवाही की। यह केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नौकरियां दिलवाना भी प्रदान करती है और रिहा किए गए किशोरों की निगरानी तथा फॉलोअप भी करती है। अपने गैर सरकारी संस्थाओं के सफल नेटवर्क के द्वारा ये केन्द्र तथा राज्य स्तर पर बाल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए अपना पक्ष रखते हैं। इस संस्था के बारे में अधिक जानकारी के लिए http://echoindia.org/about-us/. देखें।

उत्तर प्रदेश और बिहार में अदला–बदली के कार्यक्रम द्वारा यह मॉडल अपनाया जा रहा है।

iii. उपयुक्त शिक्षा, जिसमें पूरक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा शामिल हो (6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदान करने के लिए ताकि बच्चों के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधान लागू हो सकें)।

iv. कौशल विकास।

v. व्यावसायिक प्रणाली और जीवन कौशल शिक्षा।

vi. मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, जिसमें बच्चों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श दिए जाएं।

vii. मनोरंजनात्मक गतिविधियां जिसमें खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हों।

viii. जहां आवश्यक हो कानूनी सहायता दी जाए।

ix. जहां जरूरी हो वहां शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नशा मुक्ति, बीमारी के उपचार के लिए संदर्भन सेवाएं दी जाएं।

x. मामले का प्रबंधन जिसमें व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना तथा उसका फॉलोअप शामिल हो।

xi. जन्म पंजीकरण।

xii. जहां जरूरी हो, पहचान पत्र पाने में मदद करना और

xiii. बच्चे की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए दी जाने वाली अन्य सेवा जो राज्य सरकार द्वारा सीधे दी जाए या पंजीकृत संस्थानों या उपयुक्त व्यक्तियों या संदर्भन द्वारा दी जा रही हों।

सुगमकर्ता के लिए निर्देश

सुगमकर्ता को बच्चों की देखरेख के न्यूनतम मानकों की चर्चा करने के लिए यह अभिलेख जरूर पढ़ना चाहिए: https://wcd.nic.in/sites/default/files/Final%20 Manual%2024%20April%202017_5.pdf

विभिन्न बाल देखरेख संस्थाओं की कार्य प्रणाली

- बताए गए नियमों के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के बाल देखरेख संस्थान अलग–अलग परिसर में चलाए जाएंगे।
- उन्हें बाल–मित्रवत् होना चाहिए और किसी भी स्थिति में जेल या बंदीगृह की तरह नहीं दिखना चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा अधिनियम की एक प्रति संस्थानों में रखनी चाहिए ताकि उसके कर्मचारी और संस्थान में रहने वाले बच्चे उसका प्रयोग कर सकें।
- संस्थान की प्रबंधन समिति होनी चाहिए जो संस्थान का प्रबंधन करे और प्रत्येक बच्चे की प्रगति की निगरानी करे।
- संस्थागत देखरेख में रह रहे प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों, इतिहास और परिस्थितियों को देखते हुए विकसित किया जाए जिसका अंतिम लक्ष्य बच्चे का पुनर्वास तथा समाज में पुनः एकीकरण हो। व्यक्तिगत देखभाल योजना आगे भागों में दिए मार्गदर्शन पर आधारित होनी चाहिए।

2. प्रत्येक संस्थान की एक प्रबंधन समिति होनी चाहिए जो निर्धारित तरीके से गठित की जानी चाहिए और जो संस्थान का प्रबंधन और प्रत्येक बच्चे की प्रगति की निगरानी करे।
3. ऐसे संस्थानों के प्रभारी अधिकारी जहां 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे रह रहे हैं वे, संस्थान निर्धारित गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी और उनकी खुशहाली तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाल समिति गठित करने में मदद करेंगे।

चरण 2: बाल देखरेख संस्थानों में देखरेख और संरक्षण का मापदण्ड (रूल 29 (45)

बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे सभी बच्चों के लिए चाहे वे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हों या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे हो, देखभाल और संरक्षण का मापदण्ड एक समान है और MODEL RULE 29 के द्वारा निर्धारित है

बाल देखरेख संस्थान बच्चों के लिए अनुकूल होने चाहिए और किसी भी तरह किसी कारावास या बंदीगृह की तरह नहीं दिखने चाहिए। जब दोनों लिंग के बच्चे 10 वर्ष तक एक साथ एक ही संस्थान में रखे जाएंगे, तब 5 से 10 वर्ष के उम्र वर्ग के लड़के और लड़कियों के नहाने तथा सोने के स्थान की अलग–अलग व्यवस्था होनी चाहिए व छः वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें शिशुओं के लिए उपयुक्त सुविधा हो।

7–11 वर्ष और 12–18 वर्ष के उम्र समूह में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग बाल गृह होने चाहिए। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे और देखरेख तथा संस्थान के जरूरतमंद बच्चों के देखरेख संस्थान अलग–अलग परिसर में संचालित होने चाहिए।

ओडिशा से अच्छे अभ्यास का उदाहरण

ओडिशा राज्य में बाल देखभाल संस्थानों का श्रेणीकरण का कार्य एक अनुश्रवण उपकरण के द्वारा किया जाता है जिससे संस्थानों का कार्य निष्पादन देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य संस्थानों के चयन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना तथा सुधार के क्षेत्रों को चिन्हित करना है। श्रेणीकरण के लिए नीचे दिए गए मापदण्डों का पालन किया जाता है:

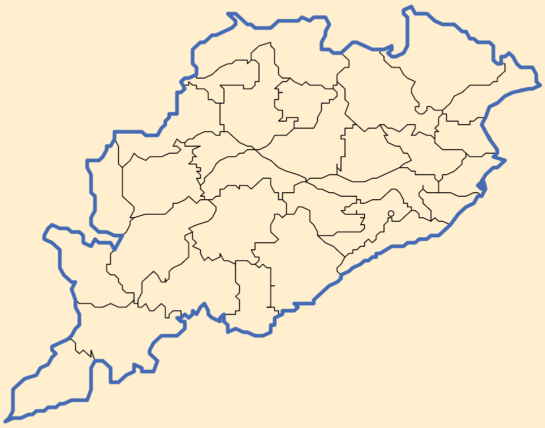

मापदण्ड	अधिकार
बच्चों का परिणाम	25
मानव संसाधन और क्षमता	15
निर्माण आधारित संरचना और सेवाएं	30
प्रशासन और वित्तीय क्षमता	30

श्रेणीकरण के लिए निम्न कदम उठाए जाते हैं:

प्रभारी बाल संरक्षण अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी बाल देखरेख संस्थान की श्रेणीकरण के लिए आवश्यक जानकारी अवलोकन, संस्थान के अभिलेख और डी.आई.सी (DIC) रिपोर्ट से एकत्रित करता है।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी बाल देखरेख संस्थानों का श्रेणीकरण DIC को सौंपता है।

संस्थानों के श्रेणीकरण में संस्थानों के बारे में प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि DIC संस्थानों के भ्रमण के दौरान करता है।

राज्य की टीम कुछ संस्थानों का भ्रमण करती है और श्रेणीकरण तालिका की जांच करती है।

राज्य (OSCPS) को भेजने से पहले बाल देखरेख संस्थानों के श्रेणीकरण को DIC सत्यापित करता है।

चरण 3: बाल देखरेख संस्थाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया

संस्थाओं का पंजीकरण (सेक्शन 41, किशोर न्याय अधिनियम 2015: नियम 21, जे.जे. मॉडल रूल, 2016)

- सभी संस्थान चाहे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं या स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे हों, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के आवास के लिए हों, को इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के लागू होने के छः माह के भीतर पंजीकृत कराया जाना चाहिए, चाहे वे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान ले रहे हों या नहीं। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत जिन संस्थानों के पास इस अधिनियम के लागू होने की तिथि पर, मान्य पंजीकरण है उन्हें माना जाएगा कि इस अधिनियम के तहत वे पंजीकृत हैं।
- राज्य सरकार बाल देखरेख संस्थानों को प्रार्थना पत्र देने के एक माह के अन्दर, अधिकतम छः माह के लिए अस्थायी पंजीकरण कर सकती है ताकि उन संस्थानों को इस अधिनियम के सीमा में लाया जा सके।
- अगर वह संस्थान निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण के मापदण्डों को पूरा नहीं कर पाता तो अस्थायी पंजीकरण निरस्त हो जाएगा।
- अगर पंजीकरण के आवेदन पत्र का फैसला किसी भी अधिकारी या किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा छः माह के अन्दर नहीं किया जाता तो यह उनकी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही मानी जाएगी।
- जिन संस्थाओं ने आवेदन किया है किन्तु अगर उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं तो राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं को अस्थायी पंजीकरण भी नहीं देगी और आवेदन प्राप्त होने के एक माह पूरा होने से पहले ही राज्य सरकार एक आदेश पारित करेगी कि संस्था अस्थायी पंजीकरण पाने के लिए भी योग्य नहीं है।
- संस्थान के पंजीकरण की समयावधि पांच वर्ष है और प्रत्येक पांच वर्ष पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराया जाना चाहिए।
- पंजीकरण को समयावधि पूरा होने से तीन माह पहले ही पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिए सभी संस्थान बाध्य होंगे।
  - जब किसी संस्थान का अधिनियम के तहत पंजीकरण समाप्त हो जाता है या सम्बन्धित प्रावधान में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संस्थान आवेदन पत्र देने में असफल हो जाता है या जिसे अस्थायी पंजीकरण नहीं दिया गया है वह संस्था राज्य सरकार द्वारा प्रबन्धित की जाएगी या जो बच्चे वहां पर रखे गए हैं उन्हें बोर्ड या समिति के आदेश पर किसी अन्य संस्था में स्थानान्तरित किया जाएगा।
  - निर्धारित कार्य पद्धति का पालन करते हुए राज्य सरकार ऐसे संस्थानों जो किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 53 में उल्लेखित पुनर्वास और पुनः एकीकरण की सेवाएं नहीं दे पाते हैं, मामले के अनुसार उनका पंजीकरण निरस्त कर सकती है या रोक सकती है।
  - कोई भी बाल देखरेख संस्थान जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है वह समिति के निर्देश पर अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों का प्रवेश लेने के लिए बाध्य होगा चाहे वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा हो या नहीं।
  - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अलग–अलग श्रेणी के बाल देखरेख संस्थान का पंजीकरण अलग–अलग किया जाना चाहिए, भले ही वे एक स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे हों।
  - पंजीकरण की अवधि की समाप्ति तिथि से तीन माह पूर्व ही पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिए सभी संस्थान बाध्य हैं।
  - पंजीकरण के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र का फैसला प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से दो माह के अन्दर ही कर दिया जाना चाहिए।

चरण 4: बाल देखरेख संस्थानों में अपनाए गए सुरक्षा के कदम

सुरक्षा के कदम (रूल 67, जे.जे. मॉडल रूल, 2016)

- प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान में रखे गए बच्चे की श्रेणी, उम्र वर्ग, संस्थान का लक्ष्य और बच्चों से तथा बच्चों को जोखिम का ध्यान रखते हुए प्रत्येक संस्थान में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी रखे जाने चाहिए।
- जिल बाल देखरेख संस्थानों में लड़कियां रखी जाती हैं, उनमें अन्दर की सुरक्षा की देखरेख के लिए महिला सुरक्षाकर्मी रखी जाएंगी और बाहरी सुरक्षा के लिए पुरूष सुरक्षाकर्मी रखे जा सकते हैं।
- अगर कोई बच्चा रात में किसी चिकित्सीय समस्या या किसी भी तरह की समस्या बताता है तो तुरन्त उसके देखभालकर्ता को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
- संस्थान के प्रभारी द्वारा बाल देखरेख संस्थान का 'ड्यूटी रोस्टर' संस्थान के किसी ऐसी जगह पर लगाया जाना चाहिए जहां उसे सभी देख सकें।

चरण 5: जब संस्थान का कोई कर्मचारी किसी बच्चे को शारीरिक दण्ड देता है तो क्या होगा?

शारीरिक दण्ड (सेक्शन 82, किशोर न्याय अधिनियम 2015)

कोई भी संस्थान का प्रभारी या कर्मचारी बच्चे को अनुशासित करने के लिए अगर शारीरिक दण्ड देता है, तो पहली बार दोषी पाए जाने पर वह 10,000 रूपए के जुर्माने का देनदार होगा और उसके बाद प्रत्येक बार दोषी पाए जाने पर जेल जाने का भागी होगा, जो तीन माह तक के लिए हो सकती है या जुर्माना या दोनों दण्ड का भागी होगा।

बाल देखरेख संस्थानों का प्रबंधन और अनुश्रवण (रूल 26, जे.जे. मॉडल रूल, 2016)

1. बाल देखरेख संस्थान के कार्यकर्ताओं की क्षमता उनके कार्य, पदों की संख्या, कार्य करने के घण्टे और कार्यकर्ताओं द्वारा देखरेख किए जाने वाले बच्चों की श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाएगी।
2. बाल देखरेख संस्थान के कर्मचारी संस्था के प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण और निरीक्षण में कार्य करेंगे तथा जो अपने आदेश से कर्मचारियों के विशिष्ट कार्यों व जिम्मेदारियों को, अधिनियम एवं नियमों की वैधानिक आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित करेगा।

3. हर श्रेणी के कर्मचारियों के पद, संस्था की क्षमता के अनुसार निश्चित रहेंगे और संस्था की क्षमता में वृद्धि होने पर उसी अनुपात में बढ़ेंगे।
4. ऐसे बाल देखरेख संस्थानों में जहां लड़कियां रखी जाती हैं केवल महिला कर्मचारी और प्रभारी नियुक्त की जाएंगी।
5. कोई भी व्यक्ति जो बाल देखरेख संस्थान से संबंधित है वह किसी भी अपराध का दोषी, या किसी भी अनैतिक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या बाल श्रम कराने वाला, या चरित्रहीन के अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही अपने कार्यकाल में किसी भी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी होना चाहिए।
6. बिना पुलिस के सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाल देखरेख संस्थान में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

सुगमकर्ता के लिए टिप्पणी

बाल देखरेख संस्थान के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों की चर्चा करने से पहले सुगमकर्ता को व्यावहारिक कौशलों जैसे– समानुभूति, संबंध बनाना, निर्णायक न बनना, प्रत्येक बच्चे की समस्या से स्थिति समझना और प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत बाल केन्द्रित देखरेख योजना तैयार करना आदि पर चर्चा कर लेनी चाहिए।

चरण 6: समूह कार्य

प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांट दें और प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए तीन पदाधिकारियों की सूची में से एक पदाधिकारी के विशिष्ट उत्तरदायित्वों की सूची बनाने तथा प्रस्तुत करने के लिए कहें:

- संस्था का संचालक (अधीक्षक)
- परिवीक्षा अधिकारी
- बाल कल्याण अधिकारी

समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण के बाद नीचे दिए बिन्दुओं की सहायता से चर्चा करें।

परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक छानबीन करते हैं इसलिए उन्हें बाल मनोविज्ञान समझना चाहिए और बच्चों को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों को भी दिमाग में रखना चाहिए।

इसके अतिरिक्त अन्य हितधारकों के साथ तालमेल और बाल देखरेख संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं में 'टीम वर्क' की भी आवश्यकता है।

संस्था का संचालक (अधीक्षक)

- संस्था के अधीक्षक की मुख्य भूमिका संस्थान को कार्यशील बनाए रखना है।
- बोर्ड के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि हर कानूनी कार्यवायी पूरी की जाए, एक सहायक और विकासोन्मुख वातावरण तैयार हो जहां प्रत्येक बच्चे की मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखा जाए तथा प्रत्येक बच्चे को विकास करने एवं सुने जाने का अवसर मिले।
- पानी भण्डारण, बिजली पूर्ति, बिजली की आपातकालीन उपकरण की पूरी व्यवस्था रखना तथा सभी उपकरणों का इस्तेमाल ध्यानपूर्वक किया जाए यह सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक माह का बजट तैयार करना और उपयुक्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना तथा वित्तीय पर नियंत्रण रखना।

परिवीक्षा अधिकारी

'परिवीक्षा अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा Probation of Offenders Act 1958 के तहत नियुक्त या जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त Legal – Cum – Probation officer से है (सेक्शन 2 (42) किशोर न्याय अधिनियम 2015)

- किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत करने पर बोर्ड के निर्देश देने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सामाजिक जांच पूरी करना।

> बच्चे को व्यक्तिगत देखरेख योजना, संस्थान के अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता, बच्चे की जांच करने वाले चिकित्सक, बच्चे का परिवार और अन्य कोई हितधारक जो बच्चे की जरूरतों तथा आवश्यकताओं को बेहतर समझने में योगदान दे सकता है तो साझा विचार–विमर्श से तैयार किया जाता है।

- बच्चे के व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार फॉलोअप करना।
- सुरक्षा के स्थान में बच्चे की प्रगति का आंकलन करना और यह सुनिश्चित करना कि बाल देखरेख संस्थान में बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो।
- सुरक्षा के स्थान में रखे बच्चे जो सुधारात्मक बदलाव चिकित्सक पा चुके हैं उनका आंकलन करने के लिए फॉलोअप करना और इसका भी आंकलन करना कि जिस बच्चे को अभी संस्थान में रहना है क्या वह 21 वर्ष की उम्र का होने पर समाज को योगदान देने योग्य समाज का सदस्य बन पाएगा।

बाल कल्याण अधिकारी

'बाल कल्याण अधिकारी' का तात्पर्य एक ऐसे अधिकारी से है जो बाल गृह से कोई या समिति के अनुपालन (सेक्शन 2 (17) किशोर न्याय अधिनियम 2015) के लिए संयोजित किए जाते हैं।

- बाल कल्याण अधिकारी सामाजिक जांच करेंगे और बच्चे के परिवार की स्थिति का विस्तृत आंकलन अवश्य प्रस्तुत करेंगे तथा लिखित तौर पर इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि क्या बच्चे को परिवार में पुनः भेजना उसके हित में है या नहीं।
- परिवीक्षा अधिकारी के न रहने पर बाल कल्याण अधिकारी परिवीक्षा अधिकारी के कार्यों को भी करते हैं।
- बाल कल्याण अधिकारी बच्चे और बच्चे के निवास के संस्थान तथा किशोर न्याय बोर्ड, संस्थान के कर्मचारियों व अन्य बाहरी हितधारकों के बीच सेतु का काम करते हैं।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिए गतिविधियों की रूपरेखा बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में बाल कल्याण अधिकारी योगदान देता है।

चरण 7: अभ्यास

प्रतिभागियों को चार समूहों में बांट दें और प्रत्येक समूह को पढ़ने के लिए एक केस स्टडी दें। समूहों से केस स्टडी पढ़ने के बाद आपस में इस बात पर चर्चा करने के लिए कहें कि केस में आए बच्चे के पुनर्वास की क्या प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया की सूची बना लें। केस स्टडी नीचे दी गई है:

केस स्टडी 1: 'ब' एक 14 वर्ष का बच्चा है जिसकी पढ़ाई छूट गई है। उसे अपनी मां की देखरेख बहुत कम मिली क्योंकि वह नज़दीक के बाजार में लकड़ियां बेचता है और इस कार्य में उसे बहुत समय लग जाता है। पुलिस में उसकी मां ने यह शिकायत की कि वह बार–बार थोड़े–थोड़े पैसे चुराता है।

केस स्टडी 2: एक 15 वर्ष का बच्चा चोरी के आरोप में तीसरी बार पकड़ा गया है यद्यपि उसके माता–पिता को इस बात की खबर दी गई किन्तु उन्होंने आने से मना कर दिया। उसे बाल केन्द्र पर भेजे जाने से पहले वयस्कों से अलग, 8 दिनों तक बंदीगृह में रखा गया।

केस स्टडी 3: एक जाने माने शहर में एक रेलवे स्टेशन के नज़दीक जब सामाजिक कार्यकर्ता सर्वेक्षण का कार्य कर रहे थे तो वे 'स' नाम की एक छोटी सी लड़की से मिले जो भीख मांग रही थी। वह छः परिवार के सदस्यों के साथ एक झोंपड़ीनुमा घर में रहती है। उसकी मां उसे भीख मांगने के लिए उसे लेकर जाती है क्योंकि वह सोचती है कि छोटी बच्ची को अधिक लोग भीख दे देते हैं। वे सब प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बदलते रहते थे। इस बात पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने ध्यान दिया।

केस स्टडी 4: जब 'द' बहुत ही कम उम्र का था उसने अपने माता–पिता को खो दिया, अब वो अपने चाचा के साथ रहता है। उसका चाचा उसे बकरियां चराने के लिए रोज जंगल में भेजता है। रास्ते में आते–जाते समय वह बच्चों को स्कूल जाते देखता है तो उसे याद आता है कि जब उसके माता–पिता जीवित थे तो तब उसे कैसे स्कूल भेजते थे। एक दिन वह गैर सरकारी संस्था के सदस्य से मिला जो उसके गांव में बाल श्रम करने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करने के लिए आए थे।

प्रतिभागियों को दो समूहों में बांट दें और इनसे इस बात पर चर्चा करने के लिए कहें कि क्या बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल उन्हें मदद करने का अन्तिम विकल्प होना चाहिए? उन्हें अपने उत्तरों और तर्कों को नोट करने के लिए कहें। उन्हें उत्तर तैयार करने के लिए 10 मिनट का समय दें। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर छूटे हुए बिन्दुओं को जोड़ें तथा चर्चा करें:

सुगमकर्ता के लिए टिप्पणी

इस भाग का सुगमीकरण करने से पहले सुगमकर्ता को UN Alternative Care Guidelines जरूर पढ़ लेनी चाहिए: https://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf.

चरण 8: संस्थागत देखरेख क्यों अन्तिम विकल्प होना चाहिए?

यह वैश्विक स्तर पर माना गया है कि बच्चे को जो अनुकूल देखरेख एक परिवार दे सकता है उस तरह की देखभाल का विकल्प सबसे अच्छे संस्थान भी नहीं दे सकते हैं। यद्यपि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए संस्थागत देखरेख का विकल्प ही है, इसलिए बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थानों में देखरेख की गुणवत्ता में सुधार करना, छोटे 'समूह घर' विकसित करना और साथ ही साथ परिवार आधारित सेवाएं विकसित करना बहुत जरूरी है। अध्ययनों और अनुभवों से यह देखा गया है कि जो बच्चा पारिवारिक देखरेख से वंचित कर दिया गया है और मानवीय भावना विहीन एक बड़े संस्थान में रख दिया गया है वे नीचे दी गई समस्याओं में से कुछ समस्याएं प्रदर्शित कर सकते हैं:

- अपने ऊपर कम ध्यान देना, व्यक्तिवादी/स्वार्थी बनना, एक व्यक्ति द्वारा देखभाल और बातचीत से बच्चे को अपनापन तथा असुरक्षित महसूस करने में दिक्कत होती है।

- "मल्टीपल मदरिंग सिन्ड्रोम" – जब एक बच्चे की देखभाल बार–बार बदलने वाले कर्मियों द्वारा की जाती है तब बच्चे का किसी एक कर्मी से लगाव नहीं बन पाता। इसके फलस्वरूप बच्चे में भावनात्मक एकाकीपन और असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है।
- अधिक नियमितीकरण और नियम पालन में बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता जिसके कारण बच्चे या तो चुप रहते हैं और दब्बू प्रकृति के हो जाते हैं या विद्रोह तथा विरोध की प्रतिक्रिया कर सकते हैं।
- लम्बे समय तक चलने वाले, अर्थपूर्ण संबन्ध न बना पाने की स्थिति में बच्चे को अधिकारियों तथा हम उम्रों पर भी विश्वास करने में दिक्कत होती है और वह खास कर तब, जब उसने अनेक नकारात्मक अनुभवों का सामना किया हो। अनेक अध्ययनों में देखा गया है कि यह नकारात्मकता वयस्क होने के बाद भी जारी रहती है और संस्थान छोड़ने के बाद ऐसे बच्चे समाज में ठीक से जुड़ नहीं पाते।
- मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और पोषण सम्बन्धी कमियों के कारण बच्चों का शैक्षणिक परिणाम तथा अन्य व्यवहारगत स्थितियां दयनीय रहती हैं।
- 'Institutionalised Child Syndrome' कभी–कभी बच्चे के आत्मविश्वास में भी दिखता है। कुछ बच्चों में अपने जीवन का कोई महत्व नहीं होता है, जो बाद में उनके अन्तर्वैयक्तिक संबन्धों की समस्याओं में दिखाई दे सकता है।

संस्थागत देखरेख का अन्तिम विकल्प क्या है?

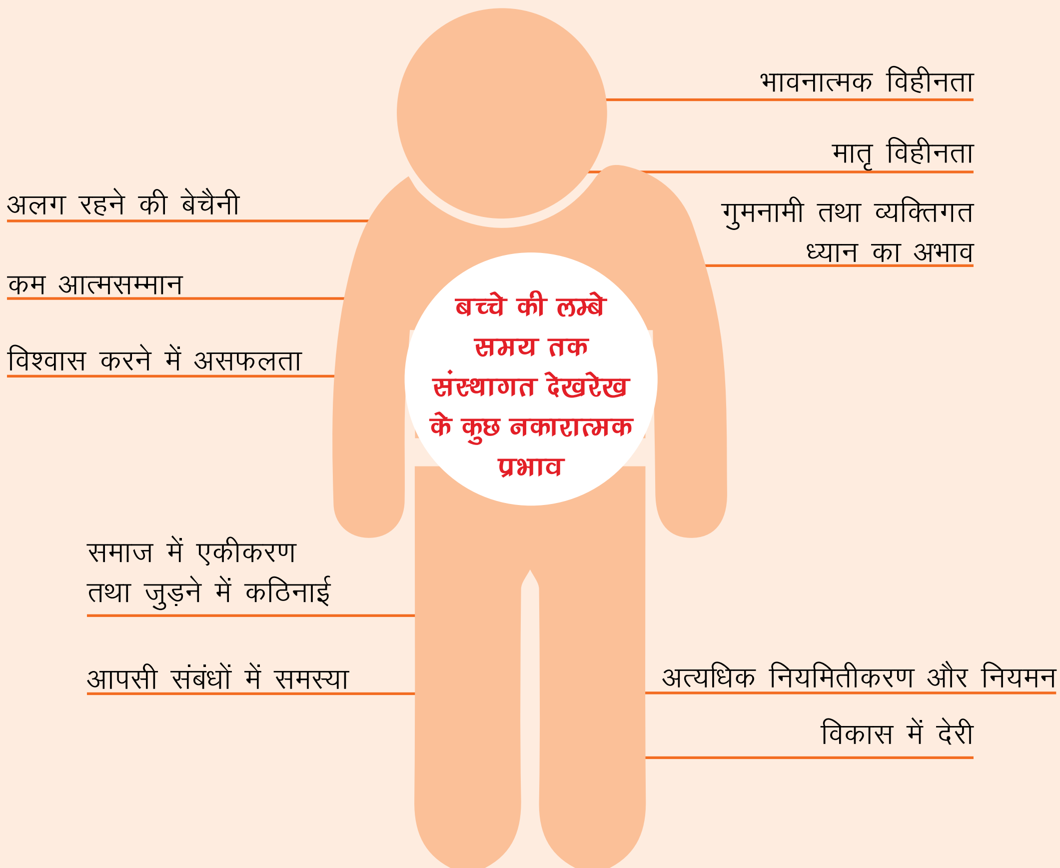

चरण 9: आगे का रास्ता

राष्ट्रीय नीतियों के प्रतिमानों में भी, बच्चों की देखभाल के लिए परिवारों को सशक्त बनाने और संरक्षण देने के कार्यक्रमों में बदलाव दिख रहा है। सम्भवतः कुछ बच्चों की ऐसी स्थितियां होंगी जिनके लिए संस्थागत देखरेख के अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, इसलिए वर्तमान में चलाए जा रहे संस्थानों में इस तरह सुधार लाना होगा कि बच्चों को व्यक्तिपरक गुणवत्तापूर्ण देखरेख सेवाएं दी जा सकें और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। जोखिम वाले परिवारों को व्यापक सहयोग देने के लिए कदम उठाना होगा ताकि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के आर्टिकल 18 और 27 के प्रकाश में, उन परिवारों को बच्चों के पालन की जिम्मेदारियों में सहायता दी जा सके।

जब तक अन्य विकल्पों की तलाश की जाए तब तक थोड़े समय के लिए संस्थागत देखरेख पर विचार किया जा सकता है। बड़े संस्थानों के स्थान पर छोटे 'समूह गृह' के लिए मार्ग खोजना होगा जो व्यक्तिगत और परिवार की तरह विकासात्मक वातावरण दे सके। कल्याण के स्थान पर विकासात्मक, आवश्यकता के स्थान पर अधिकार और संस्थागत देखरेख से गैर संस्थागत वैकल्पिक देखरेख के विशिष्ट बदलते प्रतिमानों की आवश्यकता जोखिम वाले परिवारों तथा देखरेख व संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों के लिए जरूरी है।

संयुक्त राष्ट्र के वैकल्पिक देखरेख के दिशानिर्देश औपचारिक देखभाल के लिए लागू होगा (एक समान बच्चे, पालक देखभाल, परिवार आधारित देखभाल के अन्य तरीके, आवासीय देखभाल, पर्यवेक्षित स्वतंत्र निवास) और अन्य स्थितियों में देखभाल (बोर्डिंग स्कूल, अस्पताल, विकलांगता वाले बच्चों के केन्द्र आदि) को भी प्रोत्साहित करता है। यद्यपि यह उन बच्चों पर लागू नहीं होगा जो स्वतंत्रता विहीन हैं, दत्तक बच्चे हैं, और अनौपचारिक व्यवस्था में रह रहे हैं।

दिशानिर्देश की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

- बच्चे का सर्वोत्तम हित
- आवश्यकता और उपयुक्तता का सिद्धान्त
- समानता और देखभाल
- पहरेदारी (Gate Keeping)
- रोकथाम और परिवार को सुरक्षित रखना
- संस्थावादिता को रोकना और पुनः एकीकरण करना
- कार्य करके सीखने पर आधारित कार्य पद्धति
- बाल भागीदारी

वैकल्पिक देखभाल के दिशानिर्देश के द्वारा निरूपित

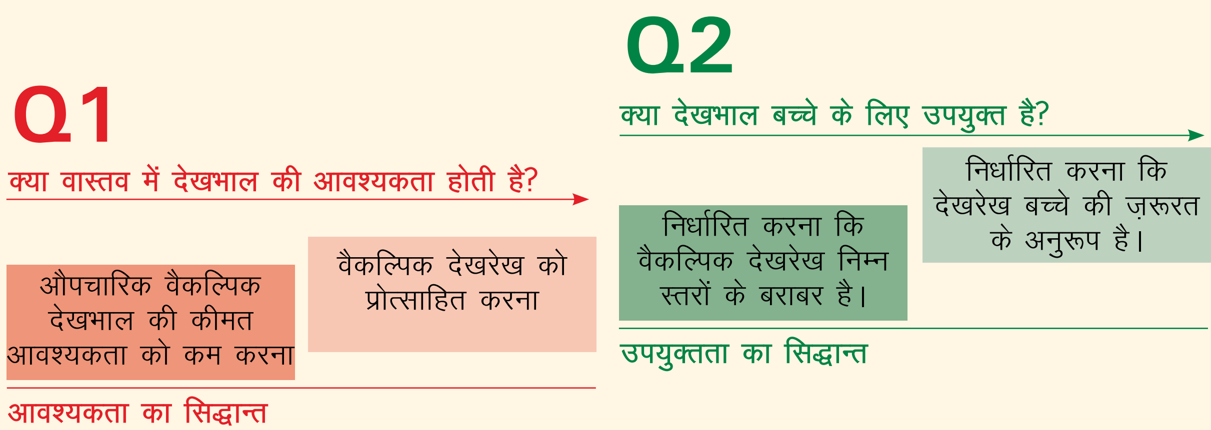

वैकल्पिक देखरेख क्या है?

वैकल्पिक देखरेख का तात्पर्य उन सेवाओं से है जो ऐसे बच्चों के लिए उपलब्ध है जिनके माता–पिता उन्हें अब पर्याप्त देखरेख करने में सक्षम नहीं हैं। जो बच्चे माता–पिता की देखरेख से बाहर हैं वह अपने तरह के बच्चों के साथ वृहद परिवार की देखरेख में रहते हैं या किसी अन्य वैकल्पिक देखरेख में जैसे दत्तक और पालक देखभाल व परिवार तथा समुदाय के अनेक दूसरे रूपों पर आधारित देखरेख में। माता–पिता की देखरेख के बाहर रहने वाले बच्चों की स्थिति और वैकल्पिक देखभाल की व्यवस्था जो सुरक्षात्मक, समुदाय उन्मुख और परिवार आधारित हो, एक बढ़ती चिन्ता का विषय है।

अपर्याप्त देखरेख का वातावरण बच्चे के भावनात्मक और सामाजिक विकास को क्षति पहुंचा सकता है तथा बच्चे को अत्यन्त असहाय स्थिति में पहुंचा सकता है। ऐसे बच्चे हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा के शिकार होने के उच्च जोखिम में होते हैं तथा इनकी खुशहाली की अपर्याप्त निगरानी की जाती है।

वृहत परिवार में अपने परिजनों द्वारा देखरेख (Kinship Care) एक बच्चे की देखरेख की स्वाभाविक व्यवस्था है और माता–पिता की देखरेख के बाहर यह बच्चे के प्रति प्राथमिक प्रतिक्रिया है। वृहत परिवार में अपने परिजनों की देखरेख (Kinship Care) में, परिवार के संबन्धों, सांस्कृतिक मापदण्डों और सामाजिक संबन्धों को बनाए रखने से, अक्सर बच्चे की पहचान बच जाती है।

यद्यपि सम्बन्धियों के साथ रहने पर निरीक्षण नहीं होता और यह गारंटी नहीं होती कि उनकी देखरेख में बच्चा सुरक्षित रहेगा। आवासीय देखरेख के तरीकों से दूर जाने का कारण काफी हद तक इस बढ़ती जागरूकता से है कि संस्थानों के कुछ विशेष लक्षणों का बच्चों, खासतौर से छोटे बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ये संस्थान वित्तीय संभावनाओं से भी प्रेरित होते हैं जो आम–व्यय की समीक्षा पर आधारित होते हैं, इससे यह प्रदर्शित होता है कि बच्चे का पुनर्वास पारिवारिक वातावरण में होना अत्यधिक प्रभावशील है और बच्चे के सर्वोत्तम हित में है।

पहरेदारी (Gate Keeping) और पारिवारिक अलगाव की रोकथामः

पहरेदारी (Gate Keeping) का मतलब है संस्थानों में बच्चों के आने की घटनाओं को कम करना और इसके लिए नीति, कार्य पद्धतियां तथा सेवाओं का होना जरूरी है। इससे बच्चों के अपने परिवारों या वैकल्पिक परिवारों में लौटने में मदद मिलेगी। बाल अधिकार सम्मेलन के आर्टिकल 9, 18 और 19 पहरेदारी (Gate Keeping) के लिए निम्न चार अंगों को बताता हैः

- बच्चे की स्थिति का आंकलन करने के लिए एक एजेन्सी उत्तरदायी हो।
- संस्थान में देखरेख के विकल्पों के रूप में परिवारों की सहायता करने की अनेक सेवाएं हों, जिनमें पालक देखरेख और दत्तक–ग्रहण (Adoption) भी शामिल हो।
- बच्चे की परिस्थितियों और जरूरतों के आधार पर निर्णय लिया हो।
- निर्णयों और उनके परिणामों की निगरानी के लिए सूचना–तंत्र हो।

सरकारें बाल अधिकार सम्मेलन के तहत वचनबद्ध हैं कि वे माता–पिता को सहायता देंगी ताकि वे अपने बच्चों की उपयुक्त देखरेख कर सकें और इसको सुनिश्चित करने के लिए भी वचनबद्ध हैं कि बच्चों को केवल तभी माता–पिता से दूर किया जाएगा, जब यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो और इस निर्णय की नियमित जांच होगी। संसाधनों की उपलब्धता के बजाय पहरेदारी (Gate Keeping) लोगों के दृष्टिकोण और धारणा से अधिक जुड़ा है। यह सुनिश्चित करना एक चिन्हित और नियमबद्ध प्रक्रिया है कि बच्चों की देखरेख की वैकल्पिक प्रक्रिया का इस्तेमाल तभी किया जाए जब, यह जरूरी हो और यह कि बच्चों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त सहायता मिले। अगर ठीक से किया जाए तो पहरेदारी (Gate Keeping) के परिणाम निम्न होंगेः

- बच्चों का परिवारों से अलग होने में रोकथाम।
- बच्चों के वैकल्पिक देखभाल में राजनीतिक प्रतिबद्धता और जवाबदेही
- बहु–आयामी संदर्भ में बच्चे और परिवार की स्थिति का आंकलन तथा अभिलेखीकरण।
- परिवार के सदस्यों एवं समुदाय को शामिल करना और उनका सशक्तिकरण।
- नियमित समीक्षा और शिकायत तंत्र, जब भी सम्भव हो बच्चे को परिवार से जोड़ना।
- सभी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्राप्त करने योग्य कम खर्चीली सेवाएं तथा जरूरत वालों के लिए लक्ष्यपरक विशिष्ट सेवाएं।
- बच्चे के लिए बजट बनाना, खर्च और बच्चे की खुशहाली के रूप में सामाजिक लाभ की गणना करना।
- बच्चों को सम्भावित सबसे अच्छे तरीके से वैकल्पिक देखभाल में शामिल करना और बच्चे की स्थिति में सफलतापूर्वक बदलाव करवाना।
- वैकल्पिक देखरेख वाले सभी बच्चों की निगरानी करवाना।
- बाल कल्याण समितियों की पहरेदारी (Gate Keeping) करना ताकि बच्चों को अनावश्यक होने पर संस्थानों में न भेजें।

महाराष्ट्र का एक (Gate Keeping) अच्छा उदाहरण जहां बहुत सारे बच्चे अनावश्यक रूप से संस्थानों में रह रहे थे उन्हें वापस घर भेजा गयाः

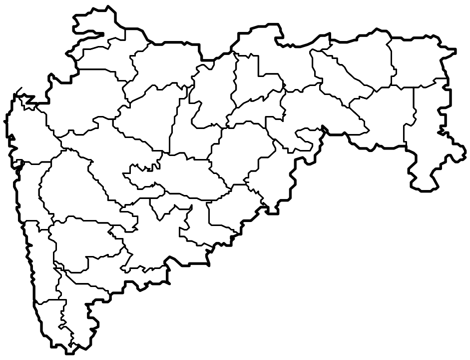

- संस्थागत देखरेख में रह रहे बच्चों की संख्या 64,000 से घटकर 19,000 हो गई।
- जालना (Jalna) समुदाय आधारित बच्चों की देखरेख।

- समुदाय मॉडल आधारित वैकल्पिक देखरेख कार्यक्रम से बच्चों को सुरक्षित आवासीय व्यवस्था दिलाकर बच्चों के प्रवासन को रोकना।
- संरक्षण, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सेवाओं तक अन्य लोगों के साथ, सभी बच्चों की पहुंच सुनिश्चित कराना।
- जो बच्चे अपने परिवार के साथ प्रवास करते हैं उनके प्रवास को सुरक्षित बनाना।

कुछ वैकल्पिक देखरेख कार्यक्रम हैं:

दत्तक–ग्रहण (Foster Care) जिस बच्चे की देखभाल उसके माता–पिता नहीं कर सकते हैं उस बच्चे को स्थायी स्थानापन्न परिवार दिलाना।

पालक देखरेख (Foster Care) जो बच्चे दत्तक नहीं बनाए जा सकते हैं उन बच्चों के लिए पालक माता–पिता का परिवार में भावनात्मक तालमेल, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से स्थिर होना चाहिए तथा उन्हें अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बच्चा देने से पहले समिति द्वारा उपयुक्त व्यक्ति घोषित किया जाना चाहिए।

स्पॉन्सरशिप (Sponsership) ऐसे परिवारों तथा बच्चों को जिन्हें जोखिम होने के रूप में चिन्हित किया गया है उन्हें आवश्यक सहायक सेवाएं देना है। बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पॉन्सरशिप में सहायता दी जाती है। बाद की देखरेख वाले संगठन (After Care Organisations) जब किशोर या बच्चे विशिष्ट गृह या बाल गृह छोड़ते हैं उसके बाद उनकी देखरेख के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं।

पुनर्वास (Rehabilitation) एक ऐसा उपचार है जो इस तरीके से तैयार किया गया है जिससे मानसिक या शारीरिक चोटों, बीमारी या रोग में सुधार की प्रक्रिया सुगम की जा सके ताकि जितना सम्भव हो सके उसे सामान्य स्थिति में लाया जा सके। एक सही और पर्याप्त पुनर्वास कार्यक्रम कई असमर्थता की स्थितियों को उल्टा कर सकता है या बच्चों को उन कमियों से जूझकर, सम्भलने में मदद कर सकता है जो केवल चिकित्सा देखरेख से नहीं हो सकता। पुनर्वास के द्वारा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और परिवेश की आवश्यकताओं का समाधान निकलता है।

कुछ सफल सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के स्पॉन्सरशिप के प्रयास नीचे दिए गए हैं:

हर बच्चे को परिवार का अधिकार सुनिश्चित करना

दत्तक–ग्रहण स्पॉन्सरशिप काउंसलिंग

सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम

पालक देखरेख – बाद की देखरेख

राज्य सरकारों के उदाहरण

1. बाल साल्गोपान योजना – महाराष्ट्र

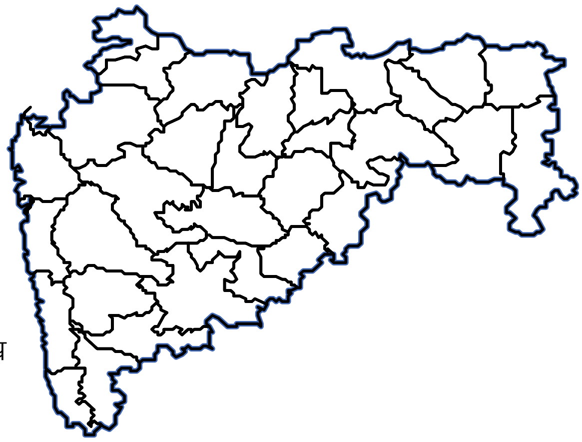

- इस कार्यक्रम के तहत अस्थायी रूप से स्थानापन्न परिवार की देखरेख उन बच्चों को दी जाती है जिनके माता–पिता बच्चों की देखभाल अनेक कारणों जिनमें बीमारी, मृत्यु, अलहदगी, या माता या पिता द्वारा त्याग या किसी अन्य कमी के कारण शामिल है, से नहीं कर पाते।
- चूंकि प्रत्येक बच्चे की यह जरूरत है और उसका यह अधिकार है कि उसकी देखरेख परिवार में हो, पालक देखरेख एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बच्चे को थोड़े या लम्बे समय के लिए एक घर मिल जाता है।
- पालक परिवार को प्रति बच्चा, प्रति माह 425 रूपये का सरकार द्वारा अनुदान किसी गैर सरकारी संस्था के माध्यम से दिया जाता है ताकि बच्चे की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जा सके। क्रियान्वयन करने वाली गैर सरकारी संस्था को प्राथमिक खर्चों जिसमें बच्चे से मिलना भी शामिल है, के लिए प्रति माह, प्रति बच्चे के लिए सरकार 75 रूपये का अनुदान देती है।

2. पालनहार योजना – राजस्थान

2005 में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना की शुरूआत की गई, किन्तु इसका दायरा बढ़ाया गया और अब हर जाति के अनाथ बच्चों को आच्छादित करने के साथ–साथ इस स्कीम में ऐसे बच्चों जिनके माता–पिता आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं या जिन्हें मृत्यु दण्ड मिला है, विधवा महिलाओं के बच्चों, कानूनी रूप से पुनः विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ट रोग से प्रभावित माता–पिता के बच्चों या एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित माता–पिता के बच्चों या जिन बच्चों की मां 'नाता' परम्परा का पालन करने चली गई है, 40 प्रतिशत या इससे अधिक असमर्थता वाले माता–पिता के बच्चों, परित्यक्त या तलाक दी हुई महिला के बच्चों को भी आच्छादित किया जाता है।

इस योजना के द्वारा परिवार आधारित देखरेख को सुदृढ़ बनाकर और वित्तीय सहायता देकर बच्चे का सामाजिक, आर्थिक तथा समग्र विकास सुनिश्चित करके बच्चों की निःशक्तता दूर की जा रही है। इस योजना के तहत परिवार की पात्रता के लिए उनकी वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह भी अनिवार्यता है कि 3 से 6 वर्ष की उम्र का बच्चा आंगनवाड़ी में उपस्थित रहा करे और 6 से 18 वर्ष का बच्चा स्कूल में। योजना के तहत दी जाने वाली सहायता की राशि 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चे के लिए 500 रूपये प्रतिमाह तथा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह है। इसके साथ–साथ परिवार को 2000 रूपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

वर्षों से चली आ रही योजनाओं से जुड़ी कुछ मुख्य बातें:

- योजनाओं का ऑफ लाईन से झंझट से मुक्त ऑन लाईन होना।
- अब तक 1.14 लाख पालनहार बच्चे और 2.16 लाख बच्चे आच्छादित किए जा चुके हैं।
- ऑन लाईन आवेदन जमा करना, प्रक्रिया और स्वीकृति के कारण त्वरित कार्यवायी।
- ऑन लाईन सिस्टम के कारण लाभार्थियों को नियमित मासिक भुगतान सुनिश्चित होना।
- भामाशाह और आधार अनिवार्य दस्तावेज में शामिल होना।
- मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल और प्रत्येक स्पॉन्सरशिप किए गए बच्चे के लिए योजना के तहत 40,000 की गारंटी।

बाल देखरेख संस्थानों पर समाचार, नई दिल्ली:

बच्चों के यौन शोषण के बढ़ते हुए मामलों को गम्भीरता से लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने बच्चों की देखरेख के लिए बाल देखरेख गृहों की स्थापना के लिए जो यौन शोषण के शिकार हैं और उन बच्चों के लिए जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, न्यायमूर्ति मदन बी लाकुर और दीपक गुप्ता की बेन्च ने यह निर्देश दिया कि ऐसे सभी बाल देखरेख गृह दिसम्बर 2017 तक पंजीकृत हो जाने चाहिए। निर्देश में यह भी कहा गया कि वर्ष 2017, के अंत तक सरकारें प्रत्येक बच्चे की देखरेख योजना बनवाना सुनिश्चित करें। बैंच ने न्यायाधीशों से बच्चों के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय योगदान देने की अपील की। निर्देश में सभी उच्च न्यायालयों से किशोर न्याय समिति बनाने के लिए कहा जिससे किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम का उपयुक्त तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

संदर्भ और अतिरिक्त पठन सामग्री

https://www.unicef.org/protection/files/UNICEF_Gatekeeping_V11_WEB_(003).pdf

https://www.unicef.org/protection/files/Moving_Forward_Implementing_the_Guidelines_English.pdf

http://www.fscmumbai.org/books/book_The_Family_Strengthening.pdf

http://oscps.nic.in/sites/default/files/guidelines_pdf/Standards%20of%20Care%20for%20Child%20Care%20Institutions.pdf

https://www.lbsnaa.gov.in/lbsnaa_sub/upload/uploadfiles/files/NGC/Publications/Final%20JJ%20Handbook.pdf

https://www.udayancare.org/sites/default/files/Workshop-Report_17-02-2017.pdf

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/gatekeeping.pdf

https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&&sublinkid=1607&lid=1546 - Do's and don'ts of person in-charge at CCI

प्रपत्र 27

[नियम 21(2) और 22 (2)]

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत

बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. बाल देखरेख संस्थान का प्रस्ताव करने वाले आवेदक/संस्थान का विवरण:

I. संस्था का प्रकार ....

II. संस्था/संगठन का नाम ....

III. सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्थान/संगठन के पंजीकरण की तिथि और संख्या (संलग्न करें –पंजीकरण से तथा संबंधित दस्तावेज और उप-नियम, संस्था का ज्ञापन) ....

IV. संस्था/संगठन चलाने के लिए अवधि की वैधता तिथि ....

V. आवेदक/संस्थान/संगठन का पूरा पता ....

VI. एसटीडी कोड/ दूरभाष संख्या...

VII. एसटीडी कोड/ फैक्स संख्या ....

VIII. ई-मेल पता ....

IX. क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर का है यदि हां तो अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं का पता दें..

X. क्या इससे पूर्व संस्था/संगठन का पंजीकरण करने से मना किया गया है ? जी हां/नहीं

XI. बा.सं.सं. के तौर पर रद्द किये जाने वाले आवेदन की संदर्भ संख्या

(क) मनाही की तारीख.......................

(ख) किस विभाग द्वारा पंजीकरण करने के लिए मना किया गया है............

XII. बा.सं.सं. के रुप में पंजीकरण न करने के कारण..

2. प्रस्तावित बाल देखरेख संस्थान का विवरण ....

I. प्रस्तावित बाल देखरेख संस्था का नाम ....

II. बाल देखरेख संस्था की किस्म/प्रकार.............................

III. बाल देखरेख संस्था या संगठन का पूरा पता स्थान स्थिति सहित

IV. एसटीडी कोड/ टेलीफोन सं..................................

V. एसटीडी कोड / फैक्स सं.............................

VI. ई-मेल पता ....

3. पंहुचने का रास्ता (प्रस्तावित बाल देखरेख संस्था का नाम और दूरी):

I. मुख्य मार्ग ....

II. बस स्टैंड......................

III. रेलवे स्टेशन....................

IV. कोई अन्य पहचान................

4. संरचना

I. कमरों की संख्या(पैमाइश सहित)..................

II. शौचालयों की संख्या(पैमाइश सहित)...................

III. पाकशालाओं की संख्या (पैमाइश सहित) ....

IV. चिकित्सा कक्षों की संख्या ....

V. भवन के नक्शे की एक प्रति संलग्न करें (भवन की प्रमाणित रुपरेखीय योजना)...

VI. अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए किस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं?:

I. आग
II. भूकंप
III. कोई अन्य व्यवस्था
IV. पेय जल का प्रबंध
V. सफाई और स्वच्छता की व्ृयवस्था:
VI. कृमि/कीटाणु नाश/नियंत्रण
VII. कचरे का निपटान
VIII. भंडारण क्षेत्र
IX. कोई अन्य व्यवस्था
X. किराया करार/ भवन अनुरक्षण आकलन(जो भी लागू हो) (किराया करार की प्रति संलग्न करें)

5. संस्थान/ संगठन की क्षमता

I. बालकों की संख्या (0-6 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
II. बालकों की संख्या (6-10 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
III. बालकों की संख्या (11-15 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
IV. बालकों की संख्या (16-18 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
V. व्यक्तियों की संख्या (18-21 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)

6 क्या बाल कल्याण समिति ने किशोर न्याय बोर्ड को संस्थान में उपस्थित बालकों के बारे में सूचना दे दी है हां/नहीं.

7. उपलब्ध सुविधाएं

I. शिक्षा सुविधा ....
II. प्रस्तावित स्वास्थ्य जांच प्रबंध, जांच की आवृत्ति एवं जांच के प्रकार ....
III. कोई अन्य सुविधा जो बालकके संपूर्ण विकास पर बुरा प्रभाव डालेगी।

8. स्टाफ व्यवस्था

I. स्टाफ सूची का ब्यौरा ....
II. स्टाफ की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव ....
III. संगठन के साझेदार
IV. संगठन के प्रभारी का नाम

9. आवेदक की पृष्ठभूमि (संस्था/संगठन)

I. पिछले 2 वर्षों में संगठन की मुख्य गतिविधियां/क्रियाकलाप
(क) (वार्षिक रिपोर्ट की प्रगति संलग्न करें)
II. संलग्न फार्म में प्रबंध समिति/शासकीय निकाय के सदस्यों की अध्यतन सूची संलग्न करें (वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति लगाएं)
III. परिसंपत्तियों की सूची/संगठन की अवसंरचना
IV. क्या संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का विवरण (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)
V. पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का बयौरा (संबंधित दस्तावेज संलग्न)
VI. अनुदान सहायता की निधि के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) स्कीम/परियोजना/उद्देश्य –राशि आदि के साथ पृथक रूप से।
VII. अभिकरण के वर्तमान बैंक खाता का विवरण, ब्रांच कोड, खाता संख्या सहित
VIII. क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए पृथक खाता खोलने की इच्छुक है ?
IX. पिछले तीन वर्षों के खातों की प्रतिलिपि संगल्न करें। :

I.लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
II.आय और व्यय लेखा
III.प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
IV.संगठन का तुलन- पत्रक.

मैंने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 का अध्ययन कर लिया है।

मैं घोषणा करता हूं कि संगठन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इससे पूर्व दण्डित नहीं किया गया है या वह एक किसी अनैतिक कार्य या किसी ऐसे बालक बाल दुर्व्यावहार या बाल श्रम नियोक्ता कार्य में संलग्न रहा है और संगठन को किसी भी समय केंद्र या राज्य सरकार की सूची से बाहर नहीं किया गया है।

………………………………(संगठन/संस्थान का नाम) ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अंर्तगत, बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण हेतु सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है।

मैं, इस संबंध में शपथ लेता हूं कि मैं केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं मे निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूंगा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर : ……………………………..

नाम:………………………………………..

पदनाम…………………………

पता…………………………………..

जिला………………………………………

तिथि……………………..

कार्यालय मुहर:

हस्ताक्षर:

साक्षी नंबर .1: …………………………………

साक्षी नंबर .2: ………………………………………

प्ररूप 32

[नियम 23(15)]

परिवार में पालन-पोषण संबंधी देखभाल अथवा सामूहिक पालन पोषण संबंधी देखभाल का आदेश

श्री .... तथा श्रीमती .... का पुत्र/पुत्री (नाम एवं पता) .... जिसकी आयु लगभग ....है, को किसी परिवार की देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत है। श्री......................... तथा श्रीमती............. निवासी(पूरा पता एवं संपर्क नम्बर).............. को वैयक्तिक देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट और गृह अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।

अथवा

बाल देखरेख संस्था (नाम एवं पता)..को वैयक्तिक देखरेख योजना और बाल अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।

बाल(नाम) .... को उक्त बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम तथा संपर्क नम्बर) .... की देखरेख में ....अवधि के लिए पालन पोषण देखभाल में स्थापन किया जाता है।

अध्यक्ष/ सदस्य
बाल कल्याण समिति

प्ररूप 33

[नियम 23(16)]

पालन पोषण करने वाले परिवार/सामूहिक पालन पोषण देखभाल करने वाले संगठन द्वारा वचनबंध

मैं/हम.....................निवासी, मकान नं. ....गली ....गांव/शहर ....जिला ....राज्य ..../ .... संगठन द्वारा --------------------(पता) पर चलाए जा रहे पालन पोषण देखरेख गृह से संबद्ध देखरेख प्रदाता एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन बाल कल्याण समिति .... के आदेशों के अनुसार .... (बालक का नाम) आयु......... की देखरेख का दायित्व संभालने का/की इच्छुक हूँ/के इच्छुक हैं :

I.यदि बालक का आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं/हम तत्काल समिति को सूचित करूँगा/करूँगी/करेंगे।

II.जब तक यह बालक मेरी/हमारी देखरेख में रहेगा तब तक मैं/हम उसके कल्याण एवं शिक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करूँगा/ करूँगी/ करेंगे और उसके समुचित देखरेख की व्यवस्था करूँगा/ करूँगी/ करेंगे।

III.उसके रोग ग्रस्त होने पर उसका निकटवर्ती अस्पताल में समुचित उपचार कराया जाएगा और समिति के समक्ष इसकी रिपोर्ट और उसके स्वस्थ होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

IV.मैं/हम पते में कोई परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करूँगा/करूँगी/करेंगे।

V.मैं/हम यह सुनिश्चित करने का यथासंभव प्रयास करूँगा/करूँगी/करेंगे कि बालक के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो।

VI.मैं/हम समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए सहमति देता/देती हूँ/देते हैं।

VII.मैं/हम, जब कभी आवश्यक होगा बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।

VIII.मैं/हम बालक के मेरे प्रभार अथवा नियंत्रण से बाहर जाने पर समिति को तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।

..................तारीख....................माह ....

दो गवाहों के हस्ताक्षर और पता **आवेदक (कों) के हस्ताक्षर**

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्ररूप 34

[नियम 23(17)]

पालन पोषण देखरेख में बालक का अभिलेख

क) मामला सं. ....

ख) बालक का नाम…………………………

ग) आयु……………………………………..

घ) लिंग……………………………………………

ड.) बाल देखरेख संस्था का नाम व पता, यदि कोई हो, जहां से बालक को पालन पोषण देखरेख में दिया गया है

………………………………………

च) वैयक्तिक देखरेख योजना

छ) निर्दिष्ट करने का कोई अन्य स्रोत………………………..

ज) पालन पोषण देखरेख में स्थापन किए गए बालक का फोटो सहित ब्यौरा, पालन पोषण देखरेख प्रदाता/माता-पिता, जैविक माता-पिता, यदि उपलब्ध हो, का ब्यौरा ………………………..

झ) स्थापन का ब्यौरा – स्थापन की तारीख एवं अवधि सहित व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखरेख

ञ) जहां कहीं लागू हो फोटो सहित जैविक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट

ट) फोटो सहित पारिवारिक – व्यक्तिगत अथवा सामूहिक पालन पोषण देखरेख की गृह अध्ययन रिपोर्ट

ठ) बाल अध्ययन रिपोर्ट

ड) बाल कल्याण समिति का पता

ढ) बालक को पालन पोषण देखरेख में स्थापन करने वाली समिति के आदेश का विवरण

ण) बालक, पालन पोषण करने वाले परिवार, जैविक परिवार, यदि उपलब्ध हो, के साथ किए गए प्रत्येक दौरे का अभिलेख (संख्या एवं प्रमुख विवरण)

त) निगरानी, देखरेख योजना के अनुपालन की सीमा एवं गुणवत्ता, बाल विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य बालक की शैक्षिक प्रगति और पारिवारिक वातावरण में कोई परिवर्तन सहित स्थापन की सभी समीक्षाओं का रिकार्ड

थ) स्थापन के विस्तार अथवा समाप्ति के मामले में, समाप्ति की तारीख एवं कारण का रिकार्ड

द) पालन पोषण करने वाले परिवार को बच्चे को देने की तारीख :

ध) प्रदान की गई वित्तीय सहायता, यदि कोई हो

न) नियुक्त किए गए मामला कार्यकर्ता का नाम

प्ररूप 35

[नियम 23(18)]

पालन पोषण करने वाले परिवारों/समूह पालन पोषण देखरेख का मासिक निरीक्षण

(जो लागू हो उसे भरें)

निरीक्षण की तारीख :

क) नाम :

ख) जन्मतिथि एवं आयु :

ग) लिंग

घ) नियोजन की तारीख

1. पालन पोषण करने वाले माता-पिता का ब्यौरा

क) पालन पोषण करने वाले माता-पिता का नाम

ख) पता

ग) संपर्क ब्यौरा

i) लैंडलाइन :

ii) मोबाइल :

घ) आधार कार्ड संख्या :

ड.) माता-पिता का फोटो

(नवीनतम फोटो लगाएं) (नवीनतम फोटो लगाएं)

3. पोषक बालक के साथ बातचीत

क)	परिवार का एक हिस्सा होते हुए बालकका अनुभव (क्या बालककी शारीरिक, भावनात्मक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित देखभाल हुई है, के संदर्भ में) वर्णन करें। I. स्वास्थ्य संसूचक क) स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति ख) अस्वस्थता का कोई अभिलेख ग) बालकका किया जा रहा कोई अन्य उपचार II. भावनात्मक	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित
ख)	बालक अपने अध्ययन में कैसा निष्पादन कर रहा है? (i) बालक द्वारा पिछली परीक्षा में प्राप्त किए गए	

	ग्रेड/अंकों के संदर्भ में जांच करें, (ii) पालन पोषण करने वाले माता-पिता बालक से उसके अध्ययन, अतिरिक्त सहगामी क्रियाओं के बारे में नियमित वार्तालाप करते हैं, (iii) क्या वे अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?	हां नहीं कभी-कभी हां नहीं कभी-कभी
ग)	i) माता-पिता (पालन-पोषण करने वाले) बालक के साथ अकेले अथवा अपने स्वयं के बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं। ii) वे परिवार के रूप में एक साथ समय कैसे और किस लिए बिताते हैं? iii) क्या पोषक बालक पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के साथ उन समस्याओं को साझा करता है जिनको वह या तो घर पर, स्कूल में, पड़ोस में सामना कर रहा है या भावनात्मक रूप से खुश नहीं है?	वार्तालाप करते समय भोजन करते समय खेलते समय टीवी देखते समय स्कूल जाते समय साथ-साथ गृह कार्य करते समय अन्य (उल्लेख करें) हां नहीं कभी-कभी
घ)	क्या बालक को पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के बच्चों से समर्थन मिलता है? (क्या वे आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं)	हां नहीं कभी-कभी
ड.)	क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो पोषक बालक को उसके प्रति भेदभाव महसूस कराती हो?	
च)	क्या कोई ऐसी घटना/घटनाएं हुई हैं जिसने तुम्हें असहज बना दिया हो? i) वह तरीका जिससे आपको पालन-पोषण करने वाले माता-पिता/बड़े भाई-बहन/किसी अन्य सदस्य ने छुआ हो। ii) वार्तालाप जो पालन-पोषण करने वाले माता-पिता/बड़े भाई-बहन/किसी अन्य सदस्य ने आपके साथ किया हो। iii) कोई सामग्री-दृश्य/मुद्रित, जिसे आपको देखने अथवा पढ़ने के लिए बाध्य किया गया हो। iv) क्या आपके साथ किसी भी समय यौन प्रहार अथवा दुर्व्यवहार किया था?*	हां नहीं हां नहीं हां नहीं

	*यदि उत्तर "हां" में है, बालक को हटाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए और उसे सुरक्षा के स्थान पर भेजा जाए और बालक को चिकित्सा एवं मनो-सामाजिक उपचार दिया जाए। ** पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वालों और अभिभावकों के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाए। ***क्या उसी प्रकार का व्यवहार उनके जैविक बालक के साथ भी किया जा रहा है? तो जैविक बालक को भी देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाए और उचित कार्रवाई की जाए।	हां नहीं
छ)	क्या बालक अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है (टेलीफोन, पत्रों, दौरे के द्वारा)। उल्लेख करें	हां नहीं
ज)	क्या आपको पालन-पोषण करने वाले माता-पिता द्वारा किसी भी समय पीटा गया है?	हां नहीं
झ)	क्या आपके साथ इस तरीके से बात की गई है कि आप अपमानित महसूस करते हैं?	हां नहीं
ञ)	क्या आपसे घरेलू काम कराया जाता है?	हां नहीं
ट)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के जैविक बच्चों से भी वही घरेलू काम कराया जाता है?	हां नहीं

5.पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के साथ बातचीत

क)	परिवार में बालक के व्यवहार (भावनात्मक हित) के बारे में माता-पिता के विचार	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमजन
ख)	घर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके समंजन के बारे में धारणा	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजन
ग)	आप बालक को अनुशासित कैसे बनाते हैं?	बालक को समझाकर डांटकर, दंड देकर

		बालक को पीटकर अन्य तरीके (उल्लेख करें)
घ)	व्यवहार की क्या विशेषताएं हैं जो चिंता का विषय हैं और आप अभिभावक के रूप में उनसे कैसे निपटते हैं?	सहयोग का अभाव समंजन का अभाव अंतर्मुखी आक्रामक अभिव्यक्तिशील न होना कोई अन्य
ड.)	क्या आप पोषक बालक और जैविक बच्चों के साथ समय बिताते हैं? विवरण दें।	हां नहीं कभी-कभी
च)	बालक की शिक्षा एवं अन्य प्रतिभाओं की प्रगति के बारे में विचार i) बालक स्कूल में अच्छा कर रहा है ii) यदि बालक स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, क्या आपने क) बालक से ख) स्कूल के शिक्षक से कारणों का पता लगाया है iii) क्या आप अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?	हां नहीं हां नहीं हां नहीं कभी-कभी
छ)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता बालक की ओर से निर्णय लेते समय उससे परामर्श करते हैं?	हां नहीं कभी-कभी
ज)	बालक पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के निर्णयों के प्रति अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति कैसे दर्शाता है?	प्रसन्नता से निर्णय स्वीकार करना निर्णय स्वीकार करना लेकिन अप्रसन्न रहना निर्णय स्वीकार करने से मना करना और आक्रामक व्यवहार दिखाना
झ)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता बालक के सामाजिक नैटवर्क के बारे में जानते हैं?	हां नहीं
ञ)	पड़ोसियों, स्कूल के दोस्तों एवं शिक्षकों के साथ बालक के सामाजिक संबंध के बारे में विचार	अच्छी एवं नियमित बातचीत आवधिक बातचीत
ट)	बालक के लिए उनकी क्या योजना है? (लिखी जाए)	

ठ)	क्या पोषक बालक अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है? (टेलीफोन,पत्रों, भ्रमण के द्वारा)। उल्लेख करें।	हां नहीं कभी-कभी
ड)	पोषक बालक के बैंक खाते का अभिभावक के रूप में कौन देखभाल करता है?	

6. पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के जैविक बच्चों के साथ बातचीत :

क)	ऐसे कार्य जो वे पोषक बालक के साथ करते हैं	भोजन करना खेलना टीवी देखना स्कूल जाना गृह कार्य साथ करना
ख)	क्या वे आपस में और पोषक बालक के साथ झगड़ा करते हैं? यदि हां, कितनी बार, किन मुद्दों पर और वे इसे कैसे हल करते हैं। कृपया लिखें।	हां नहीं कभी-कभी
ग)	आप कैसा अनुभव करते हैं जब आपके माता-पिता पोषक बालक के प्रति प्यार, दुलार एवं अपनापन दिखाते हैं?	प्रसन्न अप्रसन्न गुस्सा ईर्ष्या

7. स्कूल के शिक्षकों के साथ बातचीत :

क)	स्कूल में बालक के शैक्षणिक निष्पादन के बारे में सूचना (यह देखने के लिए कि बालक ने कोई प्रगति की है प्रगति कार्ड के साथ सत्यापित करें)	अच्छा उचित संतोषजनक खराब
ख)	शिक्षक की टिप्पणी : यदि बालक ने उसके पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के साथ समंजन कर लिया है	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित

ग)	क्या पालन-पोषण करने वाले माता-पिता अभिभावक शिक्षक बैठकों में भाग लेते हैं?	हां नहीं कभी-कभी
घ)	क्या वे बालक की पढ़ाई में रूचि रखते हैं? *(उसकी अकादमिक उपलब्धियां, शिक्षकों एवं सहपाठियों के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछकर)*	हां नहीं उदासीन
ड.)	स्कूल में बालक के व्यवहार के बारे में टिप्पणी *(शिक्षकों, सहपाठियों के साथ उसके संबंध)*	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित
च)	स्कूल में बालक के कोई चिंता। यदि हां, तो ब्यौरा दें।	

8. जन्मदाता माता-पिता के साथ बातचीत :

क)	क्या जन्मदाता माता-पिता ने अपने बालक के साथ संपर्क बनाए रखा है (टेलीफोन पर बातचीत, पत्रों एवं दौरों के द्वारा)? कितने अंतराल पर?	हां नहीं कभी-कभी
ख)	क्या बालक उनसे मिलकर प्रसन्न था?	हां नहीं उनसे मुलाकात के समय अशांत
ग)	क्या बालक ने उनके समक्ष पोषण उसके देखरेख कर्ताओं/ अभिभावकों/परिवार के बारे में कोई मुद्दा उठाया था?	हां नहीं
घ)	क्या उनकी बालक के हितों के बारे में पालन-पोषण करने वाले परिवार के साथ कोई बातचीत हुई है?	हां नहीं कभी-कभी
ड.)	बालक को वापस प्राप्त करने के लिए परिवार की स्थिति	परिवार इच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में है। परिवार अनिच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। परिवार बालक को वापस प्राप्त करने का अनिच्छुक है।
च)	पालन-पोषण देखरेखकर्ताओं से बालक को वापस प्राप्त करने के लिए उन्हें सहायता देने में सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण से कोई सहायता प्राप्त हुई है (यदि हां, तो ब्यौरा दें)	हां नहीं

9. **पड़ोसियों के साथ बातचीत**

क)	पड़ोसी द्वारा किसी बालक के पालन-पोषण करने के बारे में जानकारी	हां नही
ख)	पालन-पोषण करने वाले परिवार का बालक के प्रति मनोवृत्ति एवं व्यवहार के बारे में सूचना	सकारात्मक एवं प्रसन्न उदासीन मनोवृत्ति नकारात्मक मनोवृत्ति पोषक बालक के प्रति दुर्व्यवहार
ग)	परिवार के सदस्यों और पोषक बालक अथवा पड़ोस एवं पोषक बालक के बीच कोई झगड़ा अथवा मुद्दा देखा गया (यदि हां, तो ब्यौरा दें)	हां नहीं

द्वारा तैयार

हस्ताक्षर

प्ररूप 36

[नियम 24(5)]

प्रायोजक के स्थापन का आदेश

श्री………………….. तथा/अथवा श्रीमती…………………का/की पुत्र अथवा पुत्री …………………… को शिक्षा/स्वास्थ्य/पोषण/अन्य विकासात्मक जरूरतों ………………. (कृपया विनिर्दिष्ट करें) हेतु प्रायोजक सहायता की जरूरत वाले बालक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है । जिला बालक संरक्षण इकाई को एतद्वारा उक्त बालक को ……………………(दिवसों/मास) की अवधि के लिए एक बार की प्रायोजक सहायता के रूप में ……………रुपये प्रति मास/…………रुपये निर्मुक्त करने और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए बालक के नाम ....पर एक बैंक खाता खोलने जिसका संचालन................................. किया जाएगा, का निदेश दिया जाता है।

बाल न्यायालय/मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्ररूप 37

[नियम 25(2)]

उत्तरवर्ती देखभाल के लिए सपुर्दगी आदेश

....(बालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री श्री ...., दिनांक ....को ....वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। पुनर्वास और पुनर्समेकन तथा विशेष रुप से......................... ....(उद्देश्य/प्रयोजन) हेतु उत्तरवर्ती देखभाल के लिए उसे,…………………………………………………… (संगठन का नाम) के सपुर्द किया जाता है। संगठन के प्रभारी को निदेश दिए जाते हैं कि वह बालक/बालिका की देख भाल करे तथा उसे उसके पुनर्वास व पुनर्सम्मेकन के लिए गंभीरतापूर्वक सभी अवसर प्रदान करे । बालक/बालिका को ऐसे अवसर केवल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या समाज में पुन:समेकन होने तक जो भी पहले हो, प्रदान किए जाएंगे। संगठन प्रभारी, बाल/किशोर/किशोरी की स्थिति की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को भेजेगा।

राज्य/जिला बाल देखरेख इकाई को निदेश दिए जाते हैं कि उक्त व्यक्ति की, ...(दिन/माह) तक देख भाल के लिए तथा उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्यों के लिए, ...उपर्युक्त व्यक्ति के नाम बैंक में खाता खोलेगा ।

बाल न्यायालय/मुख्य मजिस्टेट, किशोर न्याय बोर्ड/

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रतिलिपि: राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार का संबंधित विभाग

प्ररूप 38

[नियम 27(2)]

सामूहिक पालन-पोषण देखरेख सहित सही सुविधा हेतु आवेदन

1.	संस्था/अभिकरण/संगठन का ब्यौरा जो सही सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है	
1.क	संस्था/अभिकरण/संगठन का नाम	
1.ख	प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत संस्था/संगठन की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (पंजीकरण के प्रासंगिक दस्तावेज़, उपनियम, संघ का ज्ञापन संलग्न करें)	
1. ग	आवेदन/संस्था/संगठन का पूरा पता	
1.घ	एसटीडी कोड/ टेलीफोन नम्बर	
1.ङ.	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
1.च	ई-मेल का पता	
1.छ	क्या संगठन अखिल भारतीय स्तर का है, यदि हां तो अन्य राज्यों में अपनी शाखाओं के पते दें	
1.ज	क्या संगठन को पहले मान्यता देना अस्वीकृत कर दिया गया था? यदि हां I. आवेदन का संदर्भ नम्बर जिसके फलस्वरूप मान्यता अस्वीकृत कर दी गई थी II. अस्वीकरण की तारीख III. किसने मान्यता अस्वीकृत की थी IV. मान्यता अस्वीकृत करने के कारण	
2.	प्रस्तावित सही सुविधा का ब्यौरा :	
2.क	प्रस्तावित सही सुविधा का पूरा पता/स्थान	
2.ख	एसटीडी कोड/ टेलीफोन नम्बर	
2.ग	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
2.घ	ई-मेल	
3.	संपर्क (नाम और प्रस्तावित सही सुविधा से दूरी):	
3.क	मुख्य सड़क	
3.ख	बस-स्टैण्ड	
3.ग	रेलवे स्टेशन	
3.घ	कोई अन्य निशान	
4.	अवसंरचना :	
4.क	कमरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.ख	शौचालयों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.ग	रसोई घरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	

4.घ	रोगी कक्षों की संख्या	
4.ङ.	भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति संलग्न करें (भवन का प्रामाणित नक्शा)	
4.च	अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था, व्यवस्था के प्रकार का भी उल्लेख किया जाए : I. आग II. भूकंप III. कोई अन्य व्यवस्था	
4.छ	पेयजल की व्यवस्था **लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करें**	
4.ज	साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवस्था : I.कीट नियंत्रण II.कचरा निस्तारण III.भण्डारण क्षेत्र IV.कोई अन्य व्यवस्था	
4.झ	किराया करारनामा/भवन अनुरक्षण (जो भी लागू हो) (किराया करारनामा की प्रति संलग्न करें)	
5.	सही सुविधा की क्षमता	
6.	उपलब्ध सुविधाएं (उस प्रयोजन पर निर्भर करेंगी जिसके लिए सही सुविधा के रूप में मान्यता दी जानी है)	
6.ग	कोई अन्य सुविधा जो बालक के समग्र विकास पर प्रभाव डालेगी	
7.	कर्मचारी	
7.क	कर्मचारियों की विस्तृत सूची	
7.ख	भागीदार संगठन का नाम	
8.	आवेदक की पृष्ठभूमि	
8.क	पिछले दो वर्षों के दौरान संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकलाप	
8.ख	संलग्न प्रारुप में प्रबंधन समिति/शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची **(वार्षिक बैठक का संकल्प संलग्न करें)**	
8.ग	संगठन की परिसंपत्तियों/अवसंरचना की सूची	
8.घ	यदि संगठन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है **(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)**	
8.ङ.	पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का ब्यौरा **(प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें)**	
8.च	स्कीम/परियोजना का नाम, प्रयोजन, राशि आदि (अलग-अलग) के साथ निधियन कर रहे सहायतानुदान के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो)	
8.छ	शाखा कोड, खाता संख्या दर्शाते हुए अभिकरण के मौजूदा बैंक खाते का ब्यौरा	
8.ज	क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोलने के लिए सहमत है	
8.झ	पिछले तीन वर्षों के लेखों की फोटोप्रति संलग्न करें : I. लेखा परीक्षारिपोर्ट II. आय एवं व्यय खाता III. प्राप्ति एवं भुगतान खाता IV. संगठन का तुलन पत्र	

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं।

……………………………….(संगठन/संस्था का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत सही सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि संगठन से संबद्ध कोई भी व्यक्ति पहले दोषसिद्ध नहीं किया गया है अथवा बाल दुर्व्यवहार के किसी कार्य में अथवा बाल श्रमिकों के नियोजन में अथवा नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी अपराध में संलिप्त रहा है और कि संगठन को किसी भी समय केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

मैं केंद्रीय/राज्य अधिनियम, नियम, दिशानिर्देशों और इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

मैं समय-समय पर किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर : ……………………………

नाम :

पदनाम :

पता :

जिला :

तारीख :

कार्यालय मुहर :

हस्ताक्षर :

गवाह नं. 1: ……………………………

गवाह नं. 2: ………………………………

प्ररूप 39

[नियम 27(4)]

सामूहिक पालन-पोषण देखरेख सहित उपयुक्त सुविधा की मान्यता का प्रमाण पत्र

दस्तावेज़ों का अवलोकन करने के बाद और …….को संस्था के निरीक्षण के आधार पर .... (संस्था का नाम) को …..... से …......वर्ष के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

उक्त सुविधा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 और उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर निरुपित किए गए विनियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

उक्त सुविधा किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

तारीख……………………

(हस्ताक्षर)

(मुहर)

तारीख……………………

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति/ प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड